सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

ग्राम्य विकास विभाग

लोक प्राधिकारी इकाई

जिला विकास अधिकारी का कार्यालय

जनपद चमोली

मैनुवल संख्या 01 से 17 तक

(अपग्रेडेषन सहित)

———————

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

ग्राम्य विकास विभाग

जिला विकास अधिकारी का कार्यालय

जनपद चमोली

मैनुवल संख्या– 01

——————————

संगठन की विषिश्टियॉ, कृत्य एवं कर्तव्य ।

——————————

प्रस्तावना

यह मैनुअल अथवा हस्त पुस्तिका संसद द्वारा पारित सूचना का अधिकार अधिनियम– 2005 के अनुरूप विभाग को षासन तथा लोकतन्त्र के प्रति उत्तरदायी बनाने के साथ–साथ भ्रश्टाचार को रोकने एवं सूचना की पारदर्षिता की अपेक्षा रखने के उद्देष्य से तैयार की गयी है। अधिनियम के अध्याय–2 नियम–4 (1) (ख) में निर्दिश्ट 17 बिन्दुओं में से बिन्दु–01 के सम्बन्ध में ग्राम्य विकास विभाग के विभागीय कार्यकलापों को इस हस्त पुस्तिका में समाहित करने का पूर्ण प्रयास किया गया है ताकि जन प्रतिनिधियों के साथ–साथ आम जनमानस के समक्ष सूचना की पारदिर्षिता बनी रहे। उत्तरॉचल सूचना आयोग के निर्देषानुसार इन 17 बिन्दुओं/मैनुअलों का अलग–अलग मैनुअल बनाया जाना है, जो अपने में एक स्वतन्त्र ;जंदक ।सवदमद्ध मैनुअल होगा। इस प्रकार सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत ग्राम्य विकास विभाग, जनपद–चमोली के सभी 17 मैनुअल बने हुए हैं, जिनमें से यह मैनुअल संख्या–01 कहलायेगा।

2– यह मैनुअल ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत स्तर के जन प्रतिनिधियों के साथ–साथ ग्राम्य विकास विभाग के कार्मिकों के लिए भी उपयोगी सिद्ध होगा। विभागीय कार्यक्रमों के सम्बन्ध में मैनुअल में दी गयी कतिपय सूचना षासन द्वारा निर्धारित प्रारूप पर तैयार की गयी है और कतिपय सूचनाओं को इस आधार पर तैयार किया गया है कि विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रमों की वित्तीय एवं भौतिक स्थिति की जानकारी आम नागरिकों को सरलतम रूप में प्राप्त हो सके। मैनुअल/पुस्तिका में यथासम्भव सरलतम षब्दों का प्रयोग किया गया है ताकि आम नागरिकों को इसे समझने में आसानी रहे।

3– इस हस्त पुस्तिका में समाहित विशयों एवं कार्यक्रमों के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी जिला विकास अधिकारी, चमोली/सहायक लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त की जा सकती है। पुस्तिका में उपलब्ध करायी गयी जानकारी के अतिरिक्त यदि अन्य किसी प्रकार की सूचना जो कि अधिनियम की व्यवस्थाओं के अधीन हो, वह भी जिला विकास अधिकारी, चमोली/सहायक लोक सूचना अधिकारी की अनुमति से प्राप्त की जा सकती है। जो भी व्यक्ति/नागरिक इस अधिनियम के अधीन किसी प्रकार की सूचना प्राप्त करना चाहेगा उसे अधिनियम की धारा–6 (1) में निहित व्यवस्था के तहत हस्तलिखित अथवा इलेक्ट्रानिक युक्ति के माध्यम से हिन्दी भाशा में लिखित आवेदन पत्र प्रस्तुत करने तथा अधिनियम की धारा–7(5) में किये गये प्राविधान के अधीन षासन द्वारा निर्धारित षुल्क रूपये 10/– प्रति आवेदन पत्र नकद जमा करने पर आवेदन पत्र में चाही गयी सूचना को निम्नानुसार अतिरिक्त षुल्क जमा करने पर 30 दिन की अधिकतम समय सीमा अन्तर्गत प्राप्त कर सकता है। सूचना उसी रूप में दी जा सकेगी जिस रूप में विभाग द्वारा रखी जाती है। विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को एक साथ अथवा एक ही प्रपत्र पर संकलित कर आवेदक को उपलब्ध नहीं कराया जा सकेगा। इसलिए विभाग के पास विभागीय सूचना जिस रूप में होगी उसी रूप में आवेदित व्यक्ति/नागरिक को उपलब्ध करायी जा सकेगी। षासन से निर्धारित षुल्क का विवरण निम्न प्रकार है :–

(1) तैयार की गयी सामग्री अथवा किसी अभिलेख की छायाप्रति ।4 या ।3 साइज के कागज

पर एक पृश्ठ की रू0 2 (दो) प्रति पेज की दर से भुगतान करने पर।

(2) बड़े आकार के कागज में प्रतिलिपि दिये जाने पर उसकी वास्तविक लागत के समतुल्य धन0।

(3) अभिलेखों का निरीक्षण करने के लिए प्रथम एक घॅटे के लिए कोई षुल्क देय नहीं होगा। एक

घंटे के पष्चात् प्रत्येक 15 मिनट अथवा उसके किसी भाग हेतु 5(पॉच) रूपये की दर से षुल्क

देय होगा।

(4) डिस्केट/फ्लॉपी में सूचना उपलब्ध कराने के लिए 50 रूपये प्रति डिस्केट/फ्लॉपी देय होगी।

(5) सैम्पल/मॉडल की दषा में उसकी वास्तविक लागत का भुगतान करना होगा।

4– उक्तानुसार निर्धारित षुल्क लोक सूचना अधिकारी अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी या कर्मचारी के पास जमा कर उसकी प्राप्ति रसीद कोशागार प्रपत्र 385 पर प्राप्त की जा सकती है।

□□□□□□□□□□

संगठन की विषिश्टियॉं, कृत्य एवं कर्तव्य

1– संगठन के गठन का संक्षिप्त इतिहास एवं इसका उद्देष्य :–

उत्त प्रदेश सरकार
राजस्व (ग) विभाग
विज्ञप्ति संख्या– 904 /
IC दि0 24.2.1960

(1) उत्तर प्रदेष सरकार की विज्ञप्ति दिनांक 24 फरवरी 1960 के द्वारा तत्कालीन गढ़वाल जिले की सीमाओं का परिवर्तन करते हुए चमोली जनपद का सृजन किया गया , जिसके अंतर्गत चार तहसीलें क्रमषः जोशीमठ, चमोली, कर्णप्रयाग एवं ऊखीमठ सम्मिलित रही है। (**संलग्नक परिषिश्ट–1**)

उ0प्र0 सरकार की
अधिसूचना संख्या
1656 /
38–1–80–11ch@

(2) जनपद पौड़ी गढ़वाल से जनपद चमोली का पृथक सृजन किये जाने के साथ ही जोषीमठ, दषोली, पोखरी, कर्णप्रयाग, गैरसैण, नारायणबगड़, थराली, अगस्तमुनि एवं ऊखीमठ सहित कुल 09 विकास खण्ड जनपद चमोली की अधिकारिता में सम्मिलित रहे। इसके उपरान्त उत्तर प्रदेष सरकार, ग्राम्य विकास अनुभाग–1 की अधिसूचना दिनॉक 28 मार्च, 1980 के द्वारा विकास खण्ड दषोली एवं थराली के क्षेत्रों में परिवर्तन कर विकास खण्ड घाट तथा देवाल का नव सृजन किया गया (**संलग्नक परिषिश्ट–2**)

उ0प्र0 सरकार की
अधिसूचना संख्या
2867 /
1–323 /97–रा0&5

(3) उत्तर प्रदेष सरकार, राजस्व अनुभाग–5 की अधिसूचना दिनॉक 18 सितम्बर, 1997 के द्वारा रूद्रप्रयाग नामक एक नयॉ जिला सृजित करते हुए जनपद चमोली की वर्तमान तहसील रूद्रप्रयाग और ऊखीमठ और जिला टिहरी गढ़वाल की उप तहसील जखोली और जिला पौड़ी गढ़वाल की तहसील श्रीनगर की वचणस्यूँ पट्टी के क्षेत्र को इस जनपद में समाविश्ट करते हुए इसका मुख्यालय रूद्रप्रयाग में बनाया गया। फलस्वरूप जनपद चमोली के दो विकास खण्ड ऊखीमठ एवं अगस्तमुनि पूर्ण रूप से तथा रूद्रप्रयाग तहसील के अन्तर्गत पड़ने वाली विकास खण्ड पोखरी की न्याय पंचायत चोपड़ा एवं सारी तथा विकास खण्ड कर्णप्रयाग की न्याय पंचायत मरोड़ा नवसृजित जनपद रूद्रप्रयाग के क्षेत्रान्तर्गत समाविश्ट हुए हैं। (**संलग्नक परिषिश्ट–3**)

(4) ग्रामीण क्षेत्रों का विकास षासन की प्रथम प्राथमिकताओं में सम्मिलित है और इन्हीं प्राथमिकताओं के अन्तर्गत ग्राम्य विकास विभाग के गठन का मुख्य उद्देष्य ग्रामीण जनता विषेशकर गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा चलायी जा रही योजनाओं एवं रोजगार परक कार्यक्रमों से लाभान्वित करना है। जनपद के समस्त विकास खण्डों में विभागीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों के सफल संचालन का उत्तरदायित्व मुख्य विकास अधिकारी तथा जिला विकास अधिकारी का होता है और विकास खण्ड स्तर पर खण्ड विकास अधिकारी इसके लिए उत्तरदायी होते हैं। इसी प्रकार ग्रामीण स्तर

पर नयीं पंचायतीराज व्यवस्था के अधीन ग्राम पंचायतें एवं ग्राम विकास अधिकारी पदेन– ग्राम पंचायत विकास अधिकारी ग्रामीण जनता तक विभागीय योजनाओं का लाभ पहुॅचाने के लिए उत्तदायी हैं। षासन द्वारा संचालित कार्यक्रमों एवं योजनाओं का क्रियान्वयन षासकीय नीतियों तथा व्यवस्थाओं के अनुरूप सभी स्तरों पर सुचारू रूप से सम्पादित कराते हुए ग्रामीण जनता एवं गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को लाभान्वित कराना ही विभाग के गठन का मुख्य उद्देष्य है।

2– संगठन का मिषन एवं कर्तव्य :–

विभाग को ग्राम पंचायत स्तर एवं क्षेत्र पंचायत/खण्ड विकास अधिकारी स्तर पर कार्यरत कार्मिकों के सहयोग से आर्थिक सर्वेक्षण कराकर गरीबी की रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वाले परिवारों को चिह्नॉकित कर उन्हें षासन की नीतियों के अनुरूप सहायता उपलब्ध कराना एवं ग्रामीण आवष्यकताओं के अनुरूप षासन द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत चिन्हित परियोजनाओं का चयन कर एवं उनका क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत स्तर पर अनुमोदन कराने के उपरान्त कार्यदायी संस्था के रूप में प्रदत्त परियोजनाओं को क्रियान्वित करना होता है।

3– संगठन के मुख्य कृत्य एवं प्रदत्त सेवाओं की सूची तथा उनका संक्षिप्त
विवरण :–

विभाग के मुख्य कृत्य एवं प्रदत्त सेवाओं के अन्तर्गत सम्पादित किये जा रहे कार्यक्रमों का विवरण निम्न प्रकार है–

(1) सामुदायिक विकास कार्यक्रम :–

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत संग्रहीत जिला विकास कार्यालय के भवन तथा विकास खण्डों के आवासीय एवं अनावासीय भवनों का निर्माण जिला योजना में प्राविधानित/स्वीकृत धनराषि से किया जाता है। विकास खण्डों के आवासीय एवं अनावासीय भवनों का निर्माण कार्य ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग से कराया जाता है। इस प्रकार इस मद में षासन से प्राप्त धनराषि भवनों के निर्माण कार्य हेतु ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग को हस्तान्तरित कर दी जाती है। निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने पर निर्माण ऐजेन्सी भवन का हस्तान्तरण विभाग को कर देता है, जिसका अनुरक्षण विभाग को ही करना होता है।

(2) राश्ट्रीय बायोगैस कार्यक्रम :–

यह कार्यक्रम अपारम्परिक ऊर्जा श्रोत मंत्रालय, भारत सरकार का महत्वपूर्ण कार्यक्रम है तथा भारत सरकार द्वारा सहायतित कार्यक्रम है। योजना का मुख्य उद्देष्य ग्रामीण अंचलों में अपारम्परिक

ऊर्जा के श्रोत विकसित करना तथा परम्परागत ऊर्जा के संसाधनों जैसे लकड़ी, मिट्टी का तेल, बिजली आदि की बचत करना है। यह ग्रामीण क्षेत्र के लिए अतिरिक्त ऊर्जा का महत्वपूर्ण श्रोत है। संयन्त्र में विधिवत गोबर को घोलकर डालने से मीथेन गैस प्राप्त होती है, जो ईधन एवं प्रकाष के लिए प्रयोग की जाती है। इससे जो स्लरी निकलती है उसका उपयोग खाद के रूप में किया जाता है।

(3) त्वरित ग्रामीण विकास कार्यक्रम :–

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत जल संस्थान/जल निगम एवं अन्य ऐजेन्सियों द्वारा निर्मित पेयजल योजनायें, जिन्हें ग्राम सभा को हस्तान्तरित किया गया हो, के जीर्णोद्धार एवं मरम्मत के लिए ग्राम पंचायतों से प्राप्त प्रस्तावों के अनुरूप षासन से धनराषि प्राप्त होने पर प्राप्त धनराषि सम्बन्धित ग्राम पंचायतों को अवमुक्त कर दी जाती है।

(4) सीमान्त क्षेत्र विकास योजना (बी0ए0डी0पी0) :–

इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देष्य भारत की सीमाओं पर बसे हुए दुर्गम एवं पिछड़े क्षेत्र के लोगों की विकास सम्बन्धी आवष्यकताओं को पूरा करना है। जनपद की भारत–तिब्बत/चीन सीमा पर स्थित विकास खण्ड जोषीमठ को इस योजना अन्तर्गत चयनित किया गया है। योजना अन्तर्गत षिक्षा, स्वास्थ्य, कृशि, उद्यान, लघु सिंचाई एवं सामुदायिक विकास के वे कार्य जो कि उस सीमान्त क्षेत्र की परिस्थितियों के अनुरूप आवष्यक हो, चयनित किये जाते हैं।

(5) सीमान्त क्षेत्र विकास प्राधिकरण (बी0ए0डी0ए0) :–

वर्श 1947 से 1960 के मध्य विभिन्न विकास योजनाओं के क्रियान्वयन के उपरान्त भी तत्कालीन उ0प्र0 की 3 सीमान्त राजस्व इकाईयों (तहसीलों) को 24 फरवरी, 1960 को उच्चीकृत कर जनपद चमोली, पिथौरागढ़ तथा उत्तरकाषी जनपद के रूप में स्थापित किये जाने के उपरान्त भी पूर्व में सृजित इन सीमान्त जनपदों के विकास की वर्तमान स्थिति के मूल्यॉकन के उपरान्त इन क्षेत्रों का अभी तक अपेक्षित स्तर तक विकास नहीं हो पाया है और अनेक क्षेत्रों में आज भी अवस्थापना तथा अन्य विकासपरक कार्यक्रमों में अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा काफी अन्तर पाया गया है। इसलिए उत्तरॉचल षासन द्वारा अपने कार्यालय ज्ञॉप संख्या 41/135–नि0अ0/2003 दिनॉक 09 फरवरी, 2004 के द्वारा पूर्व सृजित सीमान्त जनपदों अर्थात् चमोली, उत्तरकाषी एवं पिथौरागढ़ में स्थित सभी विकास खण्डों को सम्मिलित करते हुए सीमान्त क्षेत्र विकास प्राधिकरण की स्थापना की गयी है। इसके अन्तर्गत पूर्ववर्ती जनपदों से नवसृजित जनपद रूद्रप्रयाग एवं चम्पावत के विकास खण्ड भी सम्मिलित हैं।

(6) निर्वल वर्ग आवास योजना अन्तर्गत ऋण वसूली :–

ग्राम्य विकास विभाग द्वारा वर्श 1988–89 से 1995–96 तक निर्वल वर्ग आवास योजना चलाई गयी। इसके अन्तर्गत आवासहीन अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति एवं सामान्य जाति के लाभार्थियों को अनुदान के साथ–साथ रू0 2000.00 से रू0 4600.00 तक की धनराषि ऋण के रूप में वितरित की गयी। वितरित ऋण को अधिकतम 22 किस्तों में वसूल किया जाता है। वर्तमान समय में सचिव, उत्तरॉचल षासन, ग्राम्य विकास अनुभाग, देहरादून के षासनादेष संख्या 9.टप्च ६ ग ६ 06 ६ 61 ;20द्ब ६ 2005 दिनॉक 07 अप्रैल, 2006 के द्वारा निर्वल वर्ग आवास योजना अन्तर्गत दिये गये ऋण की वसूली को अग्रिम आदेषों तक स्थगित रखी गयी है।

(7) ग्रामीण आवास ऋण योजना अन्तर्गत ऋण वसूली :–

वर्श 1989–90 में ग्राम्य विकास विभाग के अधीन उ0प्र0 ग्रामीण आवास परिशद द्वारा ग्रामीण आवास ऋण योजना चलाई गयी। इस योजना अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र के अल्प आयवर्ग के लाभार्थियों को रू0 18,000.00 का ऋण रू0 10 प्रतिषत वार्शिक ब्याज की दर पर तथा मध्यम आयवर्ग के लाभार्थियों को रू0 25,000.00 का ऋण रू0 11 प्रतिषत वार्शिक ब्याज की दर पर वितरित किया गया। नियमित रूप से ऋण की किस्तों का भुगतान न किये जाने की स्थिति में अल्प तथा मध्यम आयवर्ग के लाभार्थियों को 14.5 प्रतिषत की दर से ब्याज का भुगतान किये जाने की व्यवस्था है और इसी व्यवस्था के तहत विभाग द्वारा विकास खण्ड स्तर इस प्रकार के लाभार्थियों से ऋण वसूली का कार्य किया जा रहा है।

(8) विधायक विकास निधि योजना :–

षासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त विधान सभा के मा0 सदस्यों को अपने–अपने क्षेत्रों में प्रत्येक वर्श में रूपये 50.00 लाख (रूपये पचास लाख) तक के विकास कार्य कराने हेतु विधायक निधि का गठन किया गया है। ताकि मा0 विधायक अपने क्षेत्रों में विकास हेतु कार्यों का चयन कर सकें और स्थानीय आवष्यकताओं की पूर्ति तथा जनता की विभिन्न कार्यों की तात्कालिक मॉग के अनुरूप विकास की गति को और तेज करने के साथ–साथ संतुलित एवं आवष्यकतानुरूप विकास के उद्देय की प्राप्ति को प्राप्त किया जा सके। इस हेतु उत्तरॉचल षासन द्वारा षासनादेष दिनॉक 07 जून, 2002 के द्वारा विधायक निधि की अवधारणा, कार्यान्वयन और अनुश्रवण व्यवस्था के सम्बन्ध में मार्गदर्षी सिद्धान्त अनुमोदित कर समस्त मुख्य विकास अधिकारियों को भेजा गया है (**संलग्नक परिषिश्ट–4**)। माह जून, 2006 तक इस कार्य का सम्पादन जिला ग्राम्य विकास अभिकरण स्तर पर किया जाता था किन्तु सचिव, उत्तरॉचल षासन, ग्राम्य विकास अनुभाग, देहरादून के षासनादेष दिनॉक 31 मई, 2006 से प्राप्त निर्देषों के क्रम में मुख्य विकास अधिकारी, चमोली द्वारा विधायक निधि योजना के कार्य को जिला विकास अधिकारी के स्तर पर सम्पादित करने के निर्देष दिये गये हैं (**संलग्नक परिषिश्ट–5**)।

@ 2003

(9) राश्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना :–

लोक सभा द्वारा 23 अगस्त, 2005 को राश्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारन्टी विधेयक 2004 पारित किया गया। इसके अन्तर्गत राज्य सरकार के ऐसे ग्रामीण क्षेत्र में जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाय, प्रत्येक गृहस्थी को, जिसके वयस्क सदस्य अकुषल षारीरिक कार्य करने के लिए स्वेच्छा से आगे आयें, को अधिनियम के अधीन बनायी गई स्कीम के अनुसार वित्तीय वर्श में कम से कम 100 दिनों का कार्य अथवा रोजगार सरकार द्वारा निर्धारित मजदूरी दर पर उपलब्ध कराने की गारन्टी दी गयी है। किन्तु अधिनियम के अधीन मजदूरी की दर साठ रूपये प्रतिदिन से कम दर पर नहीं दी जायेगी।

सन्दर्भ पुस्तिका–
राश्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी विधेयक 2004 (लोक सभा द्वारा 23 अगस्त,

(10) दीन दयाल उत्तराखण्ड ग्रामीण आवास योजना :–

भारत सरकार द्वारा भारत निर्माण योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र में आवास निर्माण एक प्रमुख कार्यक्रम के रूप में लिया गया है। भारत निर्माण कार्यक्रम में वर्श 2008–09 तक ग्रामीण क्षेत्र के समस्त आवासविहीन परिवारों को आवासीय सुविधा से लाभान्वित करने का लक्ष्य है। भारत सरकार से इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत मिलने वाली धनराषि से उत्तराखण्ड के ग्रामीण क्षेत्र की आवास की मॉग की पूर्ति अगले 2 वर्शों में पूर्ण होने की सम्भावना नहीं है। इसको दृश्टिगत रखते हुए गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले आवासविहीन/ कच्चे आवासों में निवास करने वाले परिवारों को पक्के आवास की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु उत्तराखण्ड षासन द्वारा '' दीन दयाल उत्तराखण्ड ग्रामीण आवास योजना '' के नाम से राज्य पोशित योजना प्रारम्भ की गयी है। योजना के मार्गदर्षी सिद्धान्त उत्तराखण्ड षासन, ग्राम्य विकास अनुभाग, देहरादून के कार्यालय ज्ञॉप संख्या 676/ग्र ए 07.56;1द्ध ए 007 दिनॉक 9–10–2007 से जारी किया गया है।

षासकीय ज्ञॉप संख्या 676/ग्र ए 07.56;1द्ध ए 007 दिनॉक 9–10–2007

(10–2) – षासनादेष संख्या 81/ग्र ए 08.56;1द्ध ए 007 दिनॉक 30 जनवरी , 2008 तथा षासनादेष संख्या 566 ग्र ए 08.56;1द्ध ए 007 दिनॉक 26 मई, 2008 के द्वारा लाभार्थियों की चयन प्रक्रिया ऑषिक संषोधन किया गया है।

षासनादेष संख्या 81/ग्र ए 08.56 ;1द्ध ए 007 दिनॉक 30 जनवरी , 2008 तथा षासनादेष संख्या 566 ग्र ए 08.56;1द्ध ए 007 दिनॉक 26 मई, 2008 एवं 950 दिनॉक

(10–3) – षासनादेष संख्या 950/ग्र ए 08.56;39द्ध ए 2008 दिनॉक 17 सितम्बर, 2008 के द्वारा आवासों के निर्माण के लिए अधिकतम धनराषि के अन्तर्गत पर्वतीय क्षेत्रों में नयें आवासों के लिए पूर्व में निर्धारित रू0 27500/– को सीमा को संषोधित कर रू0 38500/– निर्धारित किया गया है। मैदानी क्षेत्रों के लिए यह धनराषि पूर्व में निर्धारित रू0 25000/– के स्थान पर रू0 35000/– निर्धारित की गयी।

(11) अन्य राश्ट्रीय कार्यक्रम/योजनायें :–

ग्राम्य विकास विभाग द्वारा विकास खण्ड स्तर पर उक्त कार्यक्रमों के अतिरिक्त निम्नॉकित अन्य कार्यक्रमों का क्रियान्वयन भी विभाग के खण्ड स्तरीय तथा ग्राम स्तरीय कर्मचारियों के माध्यम से सम्पादित किया जाता है किन्तु जनपद स्तर पर जिला ग्राम्य विकास अभिकरण इन कार्यक्रमों के सफल संचालन/क्रियान्वयन के लिए पूर्णतः उत्तदायी है। इन कार्यक्रमों में से कतिपय कार्यक्रम पूर्णरूप से केन्द्र सरकार द्वारा सहायतित तथा कतिपय कार्यक्रम राज्य सरकार द्वारा केन्द्र की सहायता से चलाये जा रहे कार्यक्रम हैं।

(1) स्वर्णजयन्ती ग्राम स्व–रोजगार योजना।
(2) सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना।
(3) ग्रामीण आवास योजनायें ।
(इन्दिरा आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, भू–स्खलन आवास योजना तथा अनुदान सह ऋण
(क्रेडिट–कम–सवसीडी) आवास योजना इसमें सम्मिलित हैं)
(4) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना।
(5) सुखोन्मुख विकास योजना (डी0पी0ए0पी0) ।
(केवल जोषीमठ, गैरसैण, नारायणबगड़, तथा थराली विकास
खण्ड में संचालित है तथा हरियाली गाइड लाइन के अनुरूप
संचालित हो रही है)
(6) सॉसद विकास निधि योजना।
(7) सम विकास योजना।
(8) राश्ट्रीय ग्रामीण स्वरोजगार योजना।

उक्त 08 कार्यक्रमों के अतिरिक्त आने वाले वर्शों में समेकित बंजर भूमि विकास योजना (आई.डब्ल्यू.डी.पी.) भी जनपद में संचालित होगी, जिसे उन विकास खण्डों में चलाया जायेगा जिनमें बी0ए0डी0पी0 नहीं है। इस प्रकार अवषेश 05 विकास खण्डों दषोली, घाट, पोखरी, कर्णप्रयाग तथा देवाल में इस कार्यक्रम को लागू करने का प्रस्ताव डी.आर.डी.ए. द्वारा षासन को भेजा गया है

4– संगठन का संगठनात्मक ढॉचा :–

(4–1) ऐतिहासिक उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के परिणामस्वरूप

दिनांक 9.11.2000 से देष के 27वें राज्य के रूप में पृथक उत्तराँचल राज्य अस्तित्व में आया। इससे पूर्व यह जनपद एवं विभाग उत्तर प्रदेष राज्य में सम्मिलित था। पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेष राज्य से पृथक उत्तराँचल राज्य का गठन होने पर गढ़वाल एवं कुमॉऊॅ मण्डल के 12

जिले तथा हरिद्वार सहित कुल 13 जिले उत्तराँचल राज्य में समाविश्ट किये गये, इनमें से जनपद चमोली भी सम्मिलित है।

षासनादेष संख्या 610 ६ ग्र ६ 05 ६ 53 ;65द्ध ६ 04 दिनॉक 24 जून, 2005 तथा आयुक्त, ग्राम्य विकास उत्तरॉचल, पौड़ी के आदेष संख्या 2805 / 2–1– स्था0 / 142 / 05–06 दिनॉक 7–12–2005

(4–2) उत्तरॉचल राज्य गठन के उपरान्त ग्राम्य विकास विभाग के पुनर्गठन की प्रक्रिया भी आरम्भ हुई और अन्ततः उत्तरॉचल षासन के षासनादेष दिनॉक 24 जून, 2005 तथा आयुक्त, ग्राम्य विकास उत्तरॉचल, पौड़ी के आदेष दिनॉक 7–12–2005 (**संलग्नक परिषिश्ट–6**) के द्वारा ग्राम्य विकास विभाग के निदेषालय एवं जनपद कार्यालयों का पुनर्गठन किया गया है जिसके अनुसार उत्तरॉचल राज्य में ग्राम्य विकास विभाग का संगठनात्मक ढॉचा जो कि पूर्ववर्ती उ0प्र0 राज्य से कुछ भिन्न है, निम्न प्रकार गठित किया गया है :–

<u>विभागाध्यक्ष / निदेषालय स्तर का संगठनात्मक ढॉचा</u>

आयुक्त

(प्रमुख सचिव,ग्राम्य विकास,उत्तरॉचल षासन ही आयुक्त ग्राम्य विकास के रूप में विभागाध्यक्ष होंगे)

अपर आयुक्त

उपायुक्त

सहायक आयुक्त

वरिश्ठ लेखाधिकारी (मृत घोशित)

सहायक लेखाधिकारी

बरिश्ठ लेखाकार

लेखाकार

सहायक लेखाकार

सहायक सम्प्रेक्षक अधिकारी

बरिश्ठ लेखा परीक्षक

लेखा परीक्षक

प्रषासनिक अधिकारी–1

प्रषासनिक अधिकारी–2

मुख्य सहायक

प्रवर सहायक

कम्प्यूटर प्रोग्रामर (मृत घोशित)

कनिश्ठ सहायक

आषुलिपिक

वाहन चालक

अनुसेवक / पत्रवाहक

स्वच्छक / चौकीदार

जनपद स्तर का संगठनात्मक ढॉचा

मुख्य विकास अधिकारी

जिला विकास अधिकारी

परियोजना निदेषक (डी0आर0डी0ए0 में प्रतिनियुक्ति का पद है)

प्रषासनिक अधिकारी ग्रेड–2

लेखाकार

मुख्य सहायक

सहायक लेखाकार

प्रवर सहायक

कनिश्ठ सहायक

कनिश्ठ लेखा लिपिक (मृत संवर्ग घोशित)

आषुलिपिक

वाहन चालक

अनुसेवक / पत्रवाहक / चौकीदार

स्वीपर–सह–चौकीदार

विकास खण्ड स्तर का संगठनात्मक ढॉचा

खण्ड विकास अधिकारी

संयुक्त खण्ड विकास अधिकारी (मृत संवर्ग घोशित)

सहायक खण्ड विकास अधिकारी

प्रवर सहायक

सहायक लेखाकार

कनिश्ठ सहायक

कनिश्ठ लेखा लिपिक (मृत संवर्ग घोशित)

वाहन चालक

अनुसेवक / पत्रवाहक

स्वीपर—सह— चौकीदार

ग्राम स्तर का संगठनात्मक ढॉचा

ग्राम विकास अधिकारी (मृत संवर्ग घोशित)

(पंचायतों में तैनाती की स्थिति में ग्राम पंचायत विकास अधिकारी)

(4—3) — षासनादेष संख्या 1320/ग्५ ६ 08 ६ 53 ६ 65 ६ 04 दिनॉक 10 दिसम्बर, 2008 के द्वारा ग्राम्य विकास विभाग के निदेषालय तथा जनपद स्तरीय/ विकास खण्ड स्तरीय कार्यालयों हेतु पूर्व में सृजित लिपिक वर्ग, आषुलिपिक, वाहन चालक, चतुर्थ श्रेणी, लेखा संवर्ग तथा निदेषालय के वित्त सेवा एवं लेखा परीक्षा संवर्ग के विभागीय संरचना को पुर्नगठित किया गया है। जनपद स्तरीय एवं विकास खण्ड स्तरीय पुर्नगठन ढ़ॉचा इस प्रकार है :—

जनपद स्तर का संगठनात्मक ढॉचा

बरिश्ठ प्रषासनिक अधिकारी— 1 पद

प्रषासनिक अधिकारी (ग्रेड—1) — 1 पद

प्रषासनिक अधिकारी (ग्रेड—2) — 1 पद

मुख्य सहायक— 1 पद

प्रवर सहायक— 2 पद

कनिश्ठ सहायक—सह डाट इन्ट्री आपरेटर— 2 पद

आषुलिपिक—मु0वि0अ0— 1 पद

आषुलिपिक—जि0वि0अ0— 1 पद

लेखाकार (जिला ऑकिक) — 1 पद

लेखाकार 80रू20 अन्तर्गत — 2 पद

सहायक लेखाकार— 2 पद

वाहन चालक— 2 पद

अनुसेवक/पत्रवाहक/चौकीदार— 8 पद

स्वीपर—सह—चौकीदार— 1 पद

विकास खण्ड स्तर का संगठनात्मक ढॉचा

मुख्य सहायक— 1 पद

प्रवर सहायक — 1 पद

कनिश्ठ सहायक—सह डाट इन्ट्री आपरेटर — 1 पद

लेखाकार— 3 पद

वाहन चाहक– 1 पद

अनुसेवक/पत्रवाहक/चौकीदार– 2 पद

सफाईकार–सह–चौकीदार– 1 पद

5– संगठन की कार्यदक्षता बढ़ाने हेतु जन सहयोग की अपेक्षायें एवं इसकी व्यवस्था :–

विभागीय कार्यक्रमों एवं योजनाओं में जन सहयोग के अन्तर्गत रोजगार परक एवं व्यक्तिगत लाभार्थी परक योजनाओं का चयन स्वयं ग्राम वासियों द्वारा ग्राम पंचायत की खुली बैठक के माध्यम से किया जाता है। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत स्तर पर आयोजित बैठकों में भी विभागीय कार्यक्रमों/योजनाओं के क्रियान्वयन एवं कार्यों की गुणवत्ता/प्रगति पर खुलकर चर्चा होती है। अन्ततः उनके सुझावों से ही सभी कार्यक्रमों को कार्यान्वित किया जाता है, क्योंकि जनप्रतिनिधियों का सहयोग कर्मचारियों और अधिकारियों की कार्यक्षमता में वृद्धिकर होता है। त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था के तहत ग्राम पंचायत स्तर पर 1. नियोजन एवं विकास समिति 2. षिक्षा समिति 3. निर्माण कार्य समिति 4. स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति 5. प्रषासनिक समिति तथा 6. जल प्रबन्धन समिति गठित रहती है और इन समितियों में भी विकास कार्यक्रमों की समीक्षा की जाती है। इसी प्रकार की समितियॉ क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत स्तर पर भी गठित रहती हैं, जिनमें प्रत्येक विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही योजनाओं पर खुलकर चर्चा होती है और उसके गुण–दोशों पर प्रकाष डालते हुए उनके निराकरण की कार्यवाही की जाती है।

6– जन सेवाओं के अनुश्रवण एवं षिकायतों के निराकरण की व्यवस्था :–

जन साधारण से प्राप्त षिकायतों को दूर करने के लिए सक्षम अधिकारी के द्वारा षिकायत की जॉच कर उसके निश्पक्ष निराकरण की व्यवस्था के साथ–साथ अनियमितताओं को दूर करने के लिए स्थलीय सत्यापन की व्यवस्था भी की जाती है। निर्माण कार्यों की गुणवत्ता एवं इससे सम्बन्धित षिकायतों पर त्वरित कार्यवाही के लिए निदेषालय स्तर पर तकनीकी आडिट सेल का गठन किया गया है। इसके अतिरिक्त महालेखाकार एवं विभागीय आडिट दल द्वारा भी समय–समय पर विभागीय लेखों की जॉच की जाती है और यदि किसी मामले में अनियमितता पायी जाती है तो उसके लिए उत्तरदायित्व निर्धारित कर सम्बन्धित कर्मी के विरूद्ध आवष्यक कार्यवाही सुनिष्चित् की जाती है।

□□□□□□□□□□

संलग्नक–परिशिष्ठ–1

ळव्टम्त्छडम्छज् व्ि न्ज्ञ्ज्ञ् च्ऱक्मैभ्

त्म्टम्छन्म् ;ब्ब्द्व व्म्च्ऱत्ज्डम्छज्

....

छवण् 904 ध् फ्

....

कंजमक स्नबादवू थ्मइतनंतल 24 ए1960

....

छव्ज्प्थ्प्ब्।ज्प्व्छै

डपेबमससंदमवने

पद मगमतबपेम व जीम चवूमते बवदमितितमक इल ैमबजपवद प्प् व जीम न्दपजमक च्तवअपदबमे स्ंदक त्मअमदनम ।बजए 1901ए ;न्ण्च्ण् ।बज छवण् प्प् व 1901द्धए ें मगजमदकमक ंदक ंचचसपमक जव जीम ज्ञनउंवद क्पअपेपवदए जीतवनही त्मअमदनम ;।द्व क्मचंतजउमदज दवजपपिबंजपवद दवण् 3109ध्प्।ए कंजमक स्नबादवू ए ब्जवइमत 18 ए 1947ए जीम ळवअमतदवत व न्जजंत च्तंकमेी पे चसमेंमक जव बतमंजमए ूपजी मििमबज तिवउ जीम कंजम व जीम चनइसपबंजपवद व जीपे दवजपपिबंजपवदए ंदमू कपेजतपबजए बवउचतपेपदह जीम ंतमें ेचमबपपिमक पद जीम ैबीमकनसमए जव इम ादवूद ें क्पेजतपबज बिंउवसप ूपजी ीमंकुनंतजमते ंज ळवचमेींत ए इनज वित जीम चतमेमदज जीम ीमंक ुनंतजमते ेींसस इम ंज बिंउवसप जपसस ेनबी जपउम ें उंल इम बवदेपकमतमक दमबमेंतलए ंदक जव ंसजमत ूपजी मििमबज तिवउ जीम ेउम कंजम जीम सपउपजे व जीम मगपेजपदह कपेजतपबज व ळंतींस ेव ें जव बवउचतपेम जीम मगपेजपदह ंतमें मगबमचज जीवेम उमदजपवदमक पद जीम ैबीमकनसमण

छवजीपदह पद जीपे दवजपपिबंजपवद ेींसस ंििमबज ंदल समहंस चतवबममकपदह ंसतमंकल बवउउमदबमक वत चमदकपदह पद ंदल ब्वनतज ूपबी ीं ीपजीमत जव मगमतबपेमक रनतपेकपबजपवद पदजतमेचमबज व जीम ेंपक ंतमेंण

ैबीमकनसमण

क्पेजतपबज दृ ब्।डव्स्प्

छंउम व ज्ीमस ंदक च्ंजजपे	**छंउम व ज्ीमस ंदक च्ंजजपे**
1ण् च्पदींदकं डंससंण्	15ण् क्ेंवसप ज्ंससप
2ण् च्पदींदकं ज्ंससंण्	16ण् ज्ंससं बिंदकचनतण्
3ण् ठंउेन डंपींदकंण्	17ण् त्ंदपहंतीण्
4ण् डंससं ज्ञंसपचींजण्	18ण् च्पदकंतचंत ब्ंससंण्
5ण् ज्ञंसपचंतण्	19ण् च्पदकंतचंत ैंससंण्
6ण् ज्ंससं ज्ञंसपचींजण्	20ण् च्पदकंतूंत ब्ंससंण्
7ण् ज्ंससं छंहचनतण्	21ण् च्पदकंतूंत ैंससंण्
8ण् ठंदकंण्	22ण् ैपतहनतण्
9ण् क्ेंवसप डंससपण्	23ण् ज्ञंतांवजण्
10ण्छंदकांण्	24ण् ज्ञंचपतपण्
11ण्डंससं छंहचनतण्	25ण् ठपबींसं बिंदकचनतण्
12ण्बिंदकतीपसंण्	26ण् स्वीइंण्
13ण् केंरनसंण्	27ण् ज्ञींदेंतण्
14ण् ठपबीसं छंहचनतण्	28ण् डंससं बिंदकचनतण्

छवण 905ध्ध्

पद मगमतबपेम व िजीम चवूमते बवदमिततमक इल ैमबजपवद ण व िजीम न्दपजमक च्तवअपदबमे स्दक त्मअमदनम ।बजए 1901 ;न्च्ण ।बज छवण ए व ि1901द्ध एं मगजमदकमक ंदक ंचचसपमक जव जीम ज्ञनउंवद क्पअपेपवद जीतवनही त्मअमदनम ;।द्ध क्मचंतजउमदज छवजपपिबंजपवद छवण 3109 ध् प्।. कंजमक व्बजण 18ए 1947 ए जीम ळवअमतदवत व िन्जजंतचतंकमी पे चसमेंमक जव बतमंजमए ूपजी मििबज तिवउ जीम कंजम व िचनइसपबंजपवद व िजीपे दवजपपिबंजपवद जीम विनत ज्मीपसेए ेवूद पद बवसनउद दवण 2 ए जीम बवउचतपेपदह जीम तमें ंदक भ्मंक फनंतजमतेए ेवूद हंपदेज मंबी जमीपस ए पद बवसनउदे दवेण 3 ंदक 4ए तमेचमबजपअमसल व िजीम ेमकनसम ेमतमजव ंचचमदकमक ए पद जीम कपेजतपबज व िबिंउवसप ;बतमंजमक नदकमत त्मअमदनम क्ंतजउमदज छवजपपिबंजपवद छवण 904ध्ध्कंजमक थ्मइण 24ए 1960द्धण

छवजीपदह पद जीपे दवजपपिबंजपवद ेंसस ंििमबज ंदल समहंस चतवबममकपदहे ंसतमंकल बवउउमदबमक वत चमदकपदह पद ंदल बवनतज ूपबी ीं ेपजीमतजव मगमतबपेमक रनतपेकपबजपवद पद तमेचमबज व िजीम ंपक ंतमेंण

ैमकनसम

ैण्छवण	छंउम व िज्मीपसे	छंउम व िभ्पसस च्जजपे	भ्मंक फनंतजमते
1	2	3	4
1ण	बिंउवसप	ठंदक क्ंवसप डंससप छंदकां डंससं छंहचनत बिंदकतेीपसं क्ंरनसं ठपबीसं छंहचनत	बिंउवसप
2ण	श्रवेीपउंजी	च्पदींदकं डंससं च्पदींदकं ज्संसं	श्रवेीपउंजी
3ण	नीपउंजी	ठंउेन डंपींदकं डंससं ज्ञंसपचीज ंसपचंत ज्संसं ज्ञंसपचींज ज्संसं छंहचनत	नीपउंजी
4ण	ज्ञंतंदचतंलंह	क्ंवसप ज्संसप ज्संसं बिंदकचनत डंससं बिंदकचनत च्पदकंतचंत च्संसं च्पदकंतचंत ˘ससं त्ंदपहंती च्पदकंतूंत च्संसं च्पदकंतूंत ˘ससं ैपतहनत ज्ञंतांवज ज्ञंचपतप ठपबींसं बिंदकचनत स्वीइं ज्ञींदेंत	ज्ञंतंदचतंलंह

<u>संलग्नक–परिषिश्ठ–2</u>

उत्तर प्रदेष सरकार
ग्राम्य विकास अनुभाग–1

संख्या–1656 / 38–1–80–11बी / 76 लखनऊ दिनांक 28 मार्च 1980

अधिसूचना

उत्तर प्रदेष साधारण खण्ड अधिनियम, 1904(उत्तर प्रदेष अधिनियम संख्या–1 सन् 1904 की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेष क्षेत्र समिति तथा जिला परिशद अधिनियम, 1961 (उत्तर प्रदेष अधिनियम संख्या 33 सन् 1961) की धारा 3 के अधीन षक्ति का प्रयोग करके और सरकारी अधिसूचना संख्या–3893 / बी–33–103 / 68 दिनांक 10 नवम्बर, 1972 का आंषिक उपान्तर करके राज्यपाल इस अधिसूचना के गजट में प्रकाषन के दिनांक से जिला चमोली के दषोली और थराली खण्ड के क्षेत्रों में परिवर्तन करते हैं और उक्त जिले में दो नये खण्ड अर्थात **घाट** तथा **देवाल** नवसृजित करते हैं। नीचे दी गई अनुसूची के स्तम्भ–2 में नामित खण्डों के भाग और क्षेत्र वही होंगे जो इस अनुसूची के स्तम्भ 3 में प्रत्येक के सामने नामित न्याय पंचायत सर्किलों में समाविश्ट क्षेत्रों में हैं।

अनुसूची

जिले का नाम	खण्ड का नाम	न्याय पंचायत सर्किल जो खण्ड में सम्मिलित होगी।
1	2	3
चमोली	घाट	बूरा, घाट, फरखेत, सेमा चाका
	दषोली	बैरागना, छिनका, मैठाणा, बिरही
	देवाल	देवाल, मुन्दोली, ओडर
	थराली	थराली, बैनोली

आज्ञा से
सुधीर कुमार विष्वास,
सचिव।

संख्या 1656(1) / 38–1–80–11बी / 76 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को भी सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेशितः–

1– आयुक्त, कृशि उत्पादन एवं ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेष, लखनऊ।
2– महालेखाकार, उत्तर प्रदेष, इलाहाबाद।
3– आयुक्त / उप विकास आयुक्त, गढवाल मण्डल, गढवाल।
4– जिलाधिकारी / अतिरिक्त जिलाधिकारी(विकास) चमोली।
5– निदेषक, पंचायतराज, उत्तर प्रदेष, लखनऊ।
6– आयुक्त एवं सचिव, पर्वतीय विकास विभाग, उत्तर प्रदेष, लखनऊ।
7– विधायिका विभाग–1
8– वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग–2
9– ग्राम्य विकास विभाग–3 / पंचायतराज अनुभाग–2,
10– विधायिका पुस्तकालय के पुस्ताकलयाध्यक्ष(5 प्रतियों सहित)

आज्ञा से
ह0– रवीन्द्रनाथ तिवारी,
संयुक्त सचिव।

संख्या 1656(11) / 38–1–80–11बी / 76 तद्दिनांक

प्रतिलिपि संयुक्त अधीक्षक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेष, इलाहाबाद को इस अनुरोध के साथ प्रेशित कि उक्त विज्ञप्ति की आगामी असाधारण गजट में प्रकाषित किया जाय। उर्दू अनुवाद भी संलग्न है।

आज्ञा से
ह0 / – रवीन्द्रनाथ तिवारी,
संयुक्त सचिव।

संलग्नक–परिषिश्ठ–3

उत्तर प्रदेष सरकार
राजस्व अनुभाग–5
संख्या 2867 / 1–323 / 97–रा0–5
लखनऊ दिनॉक : 18 सितम्बर, 1997

अधिसूचना

उत्तर प्रदेष साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेष अधिनियम संख्या–1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित यू0पी0 लैण्ड रैवेन्यू ऐक्ट, 1901 (यू0पी0 ऐक्ट संख्या–3 सन् 1901) की धारा 11 के अधीन षक्ति का प्रयोग करके और इस निमित्त जारी की गयी पूर्व अधिसूचनाओं का ऑषिक उपान्तर करके राज्यपाल इस अधिसूचना के गजट में प्रकाषित होने के दिनॉक से रूद्रप्रयाग नामक एक नयॉ जिला सृजित करते हैं जिसमें जिला चमोली की वर्तमान तहसील रूद्रप्रयाग और ऊखीमठ और जिला टिहरी गढ़वाल की उप तहसील जखोली और जिला पौड़ी गढ़वाल की तहसील श्रीनगर की वचणस्यूँपट्टी के क्षेत्र समाविश्ट होंगे, जिसका मुख्यालय रूद्रप्रयाग में होगा और उक्त दिनॉक से वर्तमान जिला चमोली, टिहरी गढ़वाल और पौड़ी गढ़वाल की सीमाओं में इस प्रकार परिवर्तन करते हैं जिससे कि नवसृजित जिला रूद्रप्रयाग में सम्मिलित क्षेत्रों को छोड़कर **वर्तमान क्षेत्र उसमें समाविश्ट होंगे।**

राज्यपाल अग्रतर निर्देष देते हैं कि इस अधिसूचना की किसी बात का प्रभाव किसी विधि न्यायालय में जिसने अब तक उक्त क्षेत्रों के सम्बन्ध में अधिकारिता का प्रयोग किया है, पहले से प्रारम्भ की गयी या विचाराधीन किसी विधिक कार्यवाही पर नहीं पड़ेगा।

आज्ञा से,
ह0 / –
(एस0पी0आर्य)
प्रमुख सचिव।

संख्या 2867 / 1–323 / 97–रा0–5, तद्दिनॉकित।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेशित :–

1– जिलाधिकारी, चमोली / पौड़ी गढ़वाल / टिहरी गढ़वाल।

2– प्रतिलिपि अधिसूचना की (ऑग्रेजी अनुवाद सहित) संयुक्त अधीक्षक, नवीन राजकीय प्रेस षाखा ऐषबाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेशित कि वे कृपया इस अधिसूचना को तत्काल सितम्बर, 1997 के असाधारण गजट, भाग–4 (ख) परिनयिम आदेष में प्रकाषित करने और 500 मुद्रित प्रतियॉ षासन के राजस्व अनुभाग–5, 20 प्रतियॉ जिलाधिकारी, चमोली / पौड़ी गढ़वाल और टिहरी गढ़वाल तथा 50 प्रतियॉ आयुक्त एवं सचिव, राजस्व विभाग को भेजने का कश्ट करें।

सचिव।

संलग्नक–परिषिश्ठ–4

संख्या 384/व.ग्रा.वि./वि.नि./ 2002

प्रेशक,

डा. आर.एस.टोलिया,
प्रमुख सचिव एवं आयुक्त,

सेवा में,

समस्त मुख्य विकास अधिकारी,
उत्तरांचल ।

वन एवं ग्रांम्य विकास षाखा देहरादून : दिनांक 7 जून , 2002

विशय– विधान सभा के मान0 सदस्यों को अपने–अपने क्षेत्र में विकास कर्यों हेतु
विधायक निधि का गठन ।

महोदय,

उपर्युक्त विशय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देष हुआ है, कि षासन स्तर पर सम्यक विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि, विधान सभा के मान0 सदस्यों को **अपने– अपने क्षेत्रों में प्रत्येक वर्श रुपये 50.00 लाख (रुपये पचास लाख) तक के विकास कार्य कराने हेतु विधायक निधि का गठन किया गया है,** इस सम्बन्ध में विधायक निधि की योजना की अवधाराणाा, कार्यान्वयन और अनुश्रवण व्यवस्था के सम्बन्ध में षासन द्वारा अनुमोदित मार्गदर्षी सिद्धान्त की एक–एक प्रति एतद्द्वारा संलग्न कर प्रेशित है।

अतः अनुरोध है कि विधान सभा के मान0 सदस्यों की अपने क्षेत्र में विकास कार्य कराने के सम्बन्ध में मार्गदर्षी सिद्धान्त के अनुसार आवष्यक कार्यवाही सुनिनष्चित करने का कश्ट करें।

संलग्नक– यथोपरि

भवदीय,
ह0/–
(डा0 आर.एस.टोलिया)
प्रमुख सचिव एवं आयुक्त

संख्या /व.ग्रा0.वि./वित्रनि./ दिनांक तद दिनांक

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1– सचिव, मुख्य मंत्री उत्तरांचल षासन ।
2– निजी सचिव मा. ग्राम्य विकास मंत्री जी के सूचनार्थ ।
3– स्टाफ आफिसर मुख्य सचिव को सूचनार्थ ।
4– सचिव ग्राम्य विकास/वित्त/ गोपन उत्तरांचल षासन ।
5– आयुक्त ,ग्राम्य विकास एवं पंचायतीराज पौडी, उत्तरांचल ।
6– गढ़वाल एवं कुमांऊ मण्डल ,उत्तरांचल ।

7— समस्त सदस्य विधान सभा।
8— समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल षासन ।
9— समस्त कोशाधिकारी, उत्तरांचल षासन ।

ह0/—
(डा0 आर.एस.टोलिया)
प्रमुख सचिव एवं
आयुक्त ।

विधान सभा के माननीय सदस्यों को विकास कार्य हेतु विधायक निधि योजना की अवधारणा, कार्यान्वयन और अनुश्रवण व्यवस्था के सम्बन्ध में मार्गदर्षी सिद्धान्त।

1.1 विधान सभा के मान0 सदस्यों द्वारा समय—समय पर यह मांग उठाई जाती रही है कि विकास कार्य हेतु धनराषि नियत की जाय ,जिससे वे अपने क्षेत्रों में विकास हेतु कार्यों का चयन कर सकें, उत्तरांचल में स्थानीय आवष्यकताओं की पूर्ति ,संतुलित विकास के उद्येष्य से तथा जनता की विभिन्न कार्यों की तात्कालिक मांग के संदर्भ में मान0 मंत्री परिशद द्वारा प्रति विधयक क्षेत्र हेतु रुपये 50 लाख (रुपये पचास लाख) की स्वीकृति प्रदान की गई इस हेतु प्रतिवर्श रुपये 35.50 करोड़ की विधायक निधि बनायी जायेगी । इससे विकास की गति को और तेज करने के साथ—साथ संतुलित एवं आवष्यकतानुरुप विकास के उद्येष्य की प्राप्ति होगी, जो विकास की दिषा में एक महत्वपूर्ण एवं व्यवहारिक कदम होगा। विधान सभा के मान0 सदस्यों को विकास कार्य हेतु '' विधायक निधि '' के सन्दर्भ निम्नलिखित मार्गदर्षी निर्देष एतद्द्वारा जारी किये जा रहे है।

1.2 इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक विधान सभा के प्रत्येक मान0 सदस्य सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी को अपने निर्वाचन क्षेत्र के प्रति वर्श 50 लाख की धनराषि तक निर्माण कार्यो को कराये जाने का प्रस्ताव देंगे।

योजना की मुख्य विषेशताएं :—

2.1 प्रत्येक विधान साभा के मा0 सदस्य द्वारा अनुभव की जा रही आवष्यकतानुसार मूलभूत बुनियादी आवष्यकताओं की पूर्ति हेतु सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी को निर्माण कार्यों का विवरण देंगे, जो स्थापित प्रक्रियाओं के अनुसार उन्हें कार्यान्वित करायेंगे अर्थात मुख्य विकास अधिकारी मार्गदर्षी सिद्धान्तों के अधीन कार्य करते हुए राज्य सरकार की स्थापित प्रक्रियाओं का अनुपालन करंगे, जहां तक षहरी क्षेत्रों का सम्बन्ध है, निर्माण कार्यों का कार्यान्वयन विधान सभा के मान0 सदस्यों के सुझाव के अनुसार नगर निगमों, परिशदों एवं नगर पालिका , पंचायतों द्वारा करवाया जा सकता है। कार्यान्वयन अभिकरणों मे ऐसी सरकारी या पंचायती राज संस्थायें होगी जिन्हें निर्माण कार्यों के संतोशजनक कार्यान्वयन के योग्य मुख्य विकास

अधिकारी समझते हैं इन कार्यों के लिए निजी ठेकेदारों को लगाने पर प्रतिबन्ध है। लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्यों के निश्पादन के लिए उन प्रभागों को लगाया जा सकता है जो प्रभाग आवष्यक रुप से मात्र निर्माण कार्य ही नहीं देखते बल्कि जो निर्माण कार्यों के लिए सक्षम भी हैं, मुख्य विकास अधिकारी उस अभिकरण को अभिज्ञानित करेगें , जिसके माध्यम से विधान सभा के मान0 सदस्यों द्वारा संस्तुत कोई विषेश कार्य निश्पादित किया जाना है।

2.2 इस योजना के अधीन निर्माण कार्य स्थानीय आवष्यकताओ पर आधारित विकासात्मक प्रकृति के होंगे। स्थायी परिसम्पत्तियों के सृजन पर बल दिया जायेगा । इस योजना के अन्तर्गत प्रदान की गई धनराषि का उपयोग राजस्व व्यय के लिए नहीं किया जायेगा । इस निधि का उपयोग सेवा सम्बन्धी अनुपूरक सुविधाओं की व्यवस्था जैसे प्रयोजनों के लिए किया जा सकता है लेकिन इनमें उपर्युक्त सुवधिाओं के रख –रखाव के लिए कर्मचारी रखने जैसा कोई आवर्ती व्यय सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

2.3 इस योजना से सम्बन्धित धानराषि का उपयोग किसी बड़े कार्य की लागत को आंषिक रुप से पूरा करने के लिए किया जा सकता है जैसे तटबन्ध और उसमें जल निकास करने सम्बन्धी किसी छोट कार्य (माइक्रो हाइडे वर्क) की लागत आंषिक रुप से कराना। ऐसा केवल उसी दषा में किया जाय जब उससे निर्माण कार्य पूरा हो सकता हो । इस प्रस्तर के अधीन जहां किसी परियोजना का अंषतः व्यय इस योजना की निधि से पूरा किया गया हो, परियोजना का वह भाग सुस्पश्ट रुप से पहचान के योग्य हो।

2.4 कभी –कभी कार्यों की प्रकृति के अनुसार उनके निश्पादन मे एक वर्श से
अधिक का समय लग सकता है, उन परिस्थितियों में इस योजनान्तर्गत निश्पादन अभिकरणों को कार्य के निश्पादन के विभिन्न चरणों को स्पश्ट रुप से ध्यान में रखते हुए धनराषि अग्रिम रुप से अथवा एक से अधिक की अवधि के लिए उपलब्ध करायी जा सकती है।

2.5 विधान सभा के मान0 सदस्य द्वारा चयनित कार्य के स्थल का मान0 सदस्य के बिना बदला नहीं जा सकता है।

2.6 इस बात पर बल नहीं दिया जाना चाहिए कि चयन किये गये निर्माण कार्य के लिए अनिवार्यतः सरकारी भूमि ही हो। यह नगर पालिका/पंचायती संस्थाओं, निजी न्यासों, व्यक्तियों द्वारा अभ्यर्पित की गयी भूमि भी हो सकती है। केवल इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि जिस संस्था या व्यक्ति को भूमि अभ्यर्पित की है उसका उस भूमि को अभ्यर्पित करने का स्वामित्वाधिकार होना चाहिए । जिला प्राधिकारियों को यथा षीघ्र यह सुनिष्चित करना होगा कि स्थानीय भूमि का अभ्यर्पण नियमों के अन्तर्गत हो , जिस अभ्यर्पित /स्थानान्तरित भूमि का अभ्यर्पण

किया गया हो '' अनापत्ति प्रमाण पत्र '' के अनुसार भमि अभ्यर्पण जैसी स्थानीय रुप से मान्यता प्राप्त पद्धति को तब तक पर्याप्त समझा है जब तक अभ्यर्पण कानूनी वैद्यता प्राप्त करें। साथ ही इस भूमि पर निर्मित परिसम्पत्ति उस सार्वजनिक उपयोग के लिए उपलब्ध होगी जिसके लिए निर्माण किया गया हो।

2.7 इस योजना के अन्तर्गत कराए जा सकने वाले कार्यों का दृश्टान्त सूची परिषिश्ट–1 में दी गई है। इस योजना के अन्तर्गत जिन कार्यों को नहीं कराया जा सकता है, उनकी सूची परिषिश्ट –2 में दी गई है।

2.8 इस योजना के अन्तर्गत आने वाले किसी भी कार्य के लिए आपूर्तिकर्ताओं को किसी प्रकार अग्रिम देना निशिद्ध है।

2.9 मुख्य विकास अधिकारी को यह सुनिष्चित करना चाहिए कि इस योजना के अन्तर्गत प्रारम्भ किये जाने वाले निर्माण कार्यों के रख–रखाव और अनुश्रवण की व्यवस्था सम्बन्धित स्थानीय निकाय अथवा सम्बद्ध अभिकरण से किया जाय।

निर्माण कार्यों की स्वीकृति और निश्पादन :

3.1 निर्माण कार्यों को अभिज्ञापित करने, उनका चयन करने तथा उन्हें स्वीकृति देने के पहले मुख्य विकास अधिकारी के लिए यह आवष्यक होगा कि वह सम्बन्धित मा. सदस्य की सहमति प्राप्त करें। यदि निर्माण कार्यों को करवाये जाने के लिए कोई तकनीकीकरण जैसे चयनित भूमि का अनुकूल न होना आदि, बाधक न हो, तो सामान्यतः विधान सभा के मा. सदस्यों के प्रस्ताव को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। जिन मामलों में मुख्य विकास अधिकारी यह अनुभव करते हैं कि मा. सदस्य द्वारा प्रस्तावित कार्य निश्पादित नहीं करवाया जा सकता है, उनके सम्बन्ध में कारणों का उल्लेख करते हुए एक व्यापक रिर्पोट वे सम्बद्ध मा. सदस्यों को भेजेंगे तथा उनकी एक–एक प्रति प्रदेष सरकार के सम्बन्धित विभाग एवं ग्राम्य विकास विभाग, प्रदेष सरकार को भी सूचनार्थ भेजेंगे।

3.2 जहां तक सम्भव हो सके वहां तक सभी निर्माण कार्यों को सम्बन्धित मा0 सदस्यों को उनका प्रस्ताव प्राप्त होने की दिनांक से 45 दिनों के अन्दर ही स्वीकृति हेतु प्रदान की जानी चाहिए ।

3.3 जहां तक तकनीकी एवं प्रषासनिक स्वीकृतियों का प्रष्न है, इस सम्बन्ध में निर्णय जिला स्तर पर ही लिया जाना है,यदि आपष्यकता पड़े तो इस योजना के कार्यान्वयन हेतु पूरा एवं अन्तिम निर्णय लेने का अधिकार जिले के तकनीकी एवं प्रषासनिक कार्य निर्वाहकों को प्रत्यायोजित कर देना चाहिये ।

3.4 एक से अधिक जिलों में फैलेविधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के मामले में वह मुख्य विकास अधिकारी जो प्रदेष सरकार द्वारा जारी की गयी धनराषि को प्राप्त करते हैं,मा0 सदस्यों की इच्छानुसार अपेक्षित धनराषि अन्य सम्बन्धित जिले को भी उपलब्ध करवायेगें ताकि अन्य जिले सम्मिलित कर उनके निर्वाचन क्षेत्रों में सुझाये गये निर्माण कार्यो को कार्यान्वित किया जा सके ।

3.5 चूँकि इस योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्यों का कार्यान्वयन लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण विकास,सिंचाई,कृशि,स्वास्थ्य,क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण, जल आपूर्ति और आवास निगम आदि प्रदेष सरकार के विभिन्न अभिकरणों द्वारा किया जायेगा । अतः सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी इस योजना के अन्तर्गत जिला स्तर पर निर्माण कार्यों से समन्वय ओर उनके समग्र पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी होगें । उपर्युक्त कार्यान्वयन अभिकरण,प्रबन्ध सम्बन्धी आरम्भिक कार्यों कार्यान्वयन,पर्यवेक्षण आदि से सम्बन्धित अपनी सेवाओं के लिए किसी तरह का प्रषासनिक ब्यय,सेंटेज आदि नहीं लेगें ।

3.6 इस योजना के लिये राज्य में ग्राम्य विकास नोडल विभाग के रूप में कार्य्र करेगा । प्रदेष सरकार के सम्बन्धित विभाग जिला स्तर पर योजना और कार्यान्वयन से जुड़े सभी अभिकरणों को सामान्य निर्देष जारी किये जायेगें कि वे मुख्य विकास अधिकारियों द्वाराइस योजना के अन्तर्गत उन्हें अग्रसारित किये गये निर्माण कार्यो में सहयोग ओर सहायता प्रदान करें तथा उन्हें कार्यान्वित करायें । ऐसे निर्देषों की प्रतियां मा0 सदस्य विधान सभा को भी निर्वाचन क्षेंत्रों तथा प्रदेष में स्थित उनके पते पर भेजी जाय ।

3.7 इस योजना के अन्तर्गत किये गये सभी कार्यो पर सामान्य वित्तीय और लेखा परीक्षण सम्बन्धी प्रक्रियाऐं इस मार्गदर्षी सिद्धान्तों विषेशकर जिनका उल्लेख पैरा 3.3 में किया गया है, को ध्यान में रखते हुए लागू होगी ।

3.8 इस योजना के अन्तर्गत प्रति वर्श 50 लाख रू0 दकी धनराषि का आवंटन निर्वाचन क्षेत्र में लिए हैं यद्यपि किसी निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले मा0 विधान सभा सदस्य बदल सकते है, और ऐसे परिवर्तन का कारण चाहे कुछ भी हो,चूँकि आवंटन निर्वाचन क्षेत्र के लिये होता है,इसलिए इस योजना के अन्तर्गत निर्माणाधीन कार्यों पर कार्यवाही निरन्तर जारी रखनी चाहिए । मुख्स विकास अधिकारी इस सम्बन्ध में पूर्व और वर्तमान मा0 विधान सभा सदस्यों तथा सम्बन्धित कार्यान्वयन अभिकरण के बीच समन्वय की भूमिका निभायेगें ।

3.9 जब कभी मा0 विधान सभा सदस्य किसी भी कारण परिवर्तित होगें,कार्यों के क्रियान्वयन में यथा सम्भव निम्नलिखित सिद्धान्त अपनाये जायेगें :–

(क) यदि पूर्ववर्ती मा0 विधान सभा सदस्य द्वारा अभिभाशित कोई कार्य निर्माणाधीन है,तो उसे पूरा किया जायेगा ।

(,ख) यदि पूर्ववर्ती मा0 विधान सभा सदस्य द्वारा अभिभाशित कोई कार्य सूचना प्राप्त होने की तिथि से 45 दिनों से अधिक बीत जाने पर भी प्रषासनिक कारणों से लम्बी पड़ी हो तो उसका भी निश्पादन किया जायेगा,प्रतिबन्ध यह है कि यथोचित माद दण्डों के अनुरूप हो ।

(ग) यदि पूर्ववर्ती मा0 विधान सभी सदस्य किसी कार्य को अभिज्ञापित कर चुके हों, परन्तु इसके पहलें कि उक्त प्रस्तरों में उल्लिखित कारणों के अतिरिक्त किसी अन्य कारणों से उसका

निश्पादन षुरू नहीं किया गया हो तो उसे पूरा करवाया जा सकेगा,यदि उत्तरवर्ती मा0 विधान सभा सदस्य उनका अनुमोदन करेंगें ।

धनराषि का अवमोचनः–

4.1 मा0 विधान सभा सदस्यो से यह अपेक्षा की जाय कि एक वित्तीय वर्श में अधिकतम 10 लाख रू0 की लागत वाले कार्यों का प्रस्ताव ही रखें ।

4.2 इस धनराषि से निर्माण कार्य कराये जाने होगें। अतः अन्तरित की जाने वाली धनराषि से ब्यय की व्यवस्था निम्न प्रकार होगीः–

प्रथम त्रैमास में	35 प्रतिषत
द्वितीय त्रैमास में	15 प्रतिषत
तृतीय त्रैमास में	35 प्रतिषत
चतुर्थ त्रैमास में	15 प्रतिषत

यह धनराषि जिलाधिकारी के पी0एल0ए0 में रखी जायेगी । ओर सम्पन्न करायें गये कार्य के वास्तविक ब्यय के सापेक्ष उसी सीमा तक अथवा त्रैमास की सीमा जो भी कम हो पी0एल0ए0 से आहरित की जायेगी । पी0एल0ए0 में रखी जाने वाली धनराषि का उपयोग वित्तीय वर्श में ही होगा । विधायक निधी से ब्यय की जाने वाली धनराषि के आडिट उसी वर्श अथवा अगले वित्तीय वर्श के दो माह (अप्रेल,मई) के अन्दर ही किया जायेगा। प्रत्यके वर्श में किये गये निर्माण कार्यों के क्रियान्वयन में पारदर्षिता लायी जाने के उद्देष्य से इस निधि से कराये जा रहे कार्यो के विवरण (भौंतिक एवं वित्तीय प्रगति) की सूचना जन साधारण को षुल्क लेकर कार्यदायी संस्था /ग्राम्य विकास विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी ।

4.3 धनराषि के अवमुक्त करते समय ग्राम्य विकास विभाग सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारियों से परामर्ष करके निर्माणाधीन कार्यों को पूरा कराने के लिए अपेक्षित धनराषि का आंकलन करेंगा। कार्यों की प्रकृति के आधार पर धनराषि की आवष्यकता पहले पूरी की जायेगी , ओर तब नये निर्माण कार्यों के लिए आवंटन पर विचार किया जायेगा ।

4.4 किसी एक कार्य के लिए धनराषि को तत्परता के साथ अवमुक्त किया जाना चाहिए । निर्माणाधीन कार्यों की लागत की धनराषि एक मुष्त में अवमुक्त की जायेगी । यह धनराषि मुख्य विकास अधिकारी के द्वारा अवमुक्त की जायेगी।

4.5 यदि सम्बन्धित मान0 सदस्य विधान सभा विधायक निधि का उपयोग करने में रुचि रखते हैं तो वह ग्राम्य विकास विभाग को सूचित करेंगे , जिससे कि निधि का निर्गम वापस लिया जा सके।

अनुश्रवण व्यवस्था :–

5. इस योजना के अन्तर्गत प्रारम्भ किये जाने वाले निर्माण कार्यों के प्रभावी रखने के लिए मुख्य विकास अधिकारी को नोडल

अधिकारी नामित किया जाता है । मुख्य विकास अधिकारी के इन कार्यों में से कम से कम 10 प्रतिषत कार्यों का निरीक्षण कराना चाहिए तथा इसी प्रकार इन निर्माण कार्यों के कार्यान्वयन अभिकरणों के वरिश्ठ अधिकारियों को यह भी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वे नियमित रुप से इन निर्माण कार्यों का दौरा करें तथा यह सुनिष्चित करें कि निर्माण कार्यों में निर्धारित प्रकिया एवं विषिश्टियों के अनुसार संतोशजनक प्रगति हो रही है। इसी तरह उप –क्षेत्रीय तथा खण्ड स्तर पर जिले के अधिकारियों को निर्माण कार्यों के स्थलों का दौरा करके इन कार्यों के कार्यान्वयन का भी निकट अनुश्रवण करना वाहिए । ऐसे दौरा और अनुश्रवण अधिक से अधिक लाभप्रद हों, हो रही है। इसी तरह उप– क्षेत्रीय तथा खण्ड स्तर पर जिले के अधिकारियों को निर्माण कार्यो ं के स्थलों का दौरा करके इन कार्यों के कार्यान्वयन का भी निकट अनुश्रवण कराना चाहिए। ऐसे दौरा और अनुश्रवण अधिक से अधिक लाभप्रद हों, इसके लिए मुख्य विकास अधिकारी को चाहिए कि वे इसमें माननीय विधान सभा सदस्यों को भी सामिल करें। मान0 विधान सभा और ग्राम्य विकास विभाग राज्य सरकार को दो महीने में एक बार उपयुक्त अनुश्रवण की रिपोर्ट भी उसके द्वारा प्रस्तुत की जानी चाहिए। ग्राम्य विकास विभाग द्वारा एक निरीक्षण सूची तैयार की जानी चाहिए, जिसमें निपश्पादन , अभिलेखों के अभिकरणों के प्रत्येक पर्यवेक्षण स्तरीय कर्मचारी के लिए क्षेत्रीय निरीक्षणों की न्यूनतम संख्या निर्धारित हो।

5.1 ग्राम्य विकास विभाग कार्यान्वयनाधीन निर्माण कार्यों की एक पूर्ण एवं
नवीनतम स्थिति की सूचना सदैव रखेगा। प्रत्येक जनपद में डी0आर0डी0ए0 में निर्माण कार्यों के अध्ययन सूचना रहेगी। जिसे कम्प्यूटरीकृत कर प्रति माह फलापी एवं हार्डडिस्क पर षासन को प्रेशित की जायेगी ।

5.2 इस योजना से सम्बन्धित अनुश्रवण प्रपत्र तथा अन्य बिन्दु ग्राम्य विकास विभाग द्वारा समय–समय पर निर्णित किये जायेंगे।

5.3 मुख्य विकास अधिकारियों को चाहिए कि वे इस योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्यों की प्रगति के बारे में सूचना इन रिपोर्टों की प्रतियां मान0 विधान सभा सदस्यों को भी भेजी जायेंगी।

5.4इस योजना के कार्यान्वयन में निरन्तर सुधार लाने, नियोजन विभाग समूहों में म ुख्य विकास अधिकारियों को प्रषिक्षण की व्यवस्था कर सकता है जिसमें विधान सभा सदस्यों को षामिल कर उनसे संवाद भी स्थापित किया जा सकेगा।

सामान्य :

6.1 स्थानीय लोगों को यह सूचित करने के लिए कार्य विषेश मा0 विधान सभा सदस्य द्वारा विधायक निधि से करवाया गया है। मा0 विधान सभा सदस्य के विधायक निधि योजना का निर्माण कार्य लिखा हुआ सूचना पट्ट कार्यस्थल पर लगावाया जाय।

6.2 निर्माण कार्यों के निश्पादन के दौरान मा0 विधान सभा सदस्यों को किसी ऐसी समस्या/स्थितियों को सामना करना पड़ सकता है। जिसका उल्लेख इन मार्ग सिद्धान्तों में नहीं किया गया है।

6.3 कभी किसी भी कारणवष मान0 विधान सभा सदस्य परिवर्तित है। और पूर्ववर्ती मान0 विधान सभा सदस्य द्वारा कोई भी कार्य अभिज्ञापित नहीं किया गया हो, तो उन पूर्ववर्ती मान0 विधान सभा सदस्य के सम्बन्ध में आवंटित अथवा अवमोचित राषि उनके उत्तरवर्ती मान0विधान सभा सदस्य को उस वर्श के लिए आवंटित 50.00 लाख रुपये की धनराषि से अतिरिक्त नहीं उपलब्ध होगी।

————————————

परिषिश्ट–1

विधायक निधि अन्तर्गत कराये जा सकने वाले कार्यों की दृश्टान्त सूची

1. विद्यालयों ,छात्रावासों, पुस्तकालयों के लिए भवनों और षिक्षण संस्था के अन्य भवनों का निर्माण जो सरकार अथवा स्थानीय निकायों के अधीन हो। ऐसे भवन मान्यता प्राप्त संस्थाओं के भी हो, तो उनका निर्माण कराया जा सकता है।
2. गांवों , कस्बों अथवा नगरों मे लोगों को पेयजल उपलब्ध कराये जाने हेतु नलकूपों और पानी की टंकियों का निर्माण अथवा ऐसे अन्य निर्माण का निश्पादन जो इस दृश्टि से सहायक हों।
3. गावों और कस्बों तथा नगरों मे सड़कों का निर्माण जिससे पार्ट– सड़कें,सम्पर्क सड़कें , लिंक सड़कें आदि भी षामिल हैं। अति विषिश्ठ उन कच्चे मार्गों का भी निर्माण करवाया जा सकता है, जिनकी स्थानीय लोगों द्वारा अनुभव की जा रही जरुरत पूरी करने के लिए सम्बद्ध माननीय सदस्य सहमत हों।
4. उपर्युक्त सड़कों और अन्यत्र टूटी सड़कों/ नलकूपों की नालियों एवं नहरों पर पुलियों/पुलों का निर्माण
5. वृद्धों अथवा विकलांगों के लिए सामान्य आश्रम गृहों का निर्माण ।
6. मान्य प्राप्त जिला या राज्य स्तर के खेल– कूद संघों की सांस्कृतिक तथा खेल– कूद सम्बन्धी गति विधियों अथवा अस्पतालों के लिए स्थानीय निकायों के भवनों का निर्माण व्यायाम केन्द्रों, खेल –कूद संघों, षारीरिक षिक्षा–प्रषिक्षण संस्थानों आदि में विभिन्न कसरतों की सुविधायें (मल्टीजिम फैसिलिटीज) उपलब्ध कराने की भी अनुमति है।
7. सार्वजनिक सिंचाई और सार्वजनिक जल निकास सुविधाओं का निर्माण।
8. सार्वजनिक पुस्तकालय एवं वाचनालय ।
9. षवदाह/ षमषान भूमि पर षवदाह गृहों और ढांचों, कब्रिस्तान ग्रेवयार्ड, सेमेंट्री का निर्माण ।
10. सार्वजनिक षौचालयों और स्नानगृहों का निर्माण ।
11. नाले और गटर ।
12. पैदल पथ, पगडंडियों और पैदल पुलों का निर्माण ।
13. षहरों , कस्बों तथा गांवों की गन्दी बस्ती वाले क्षेत्रों में और अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन जाति के निवास क्षेत्रों में बिजली , पानी पगडंडियों, सार्वजनिक षौचालयों आदि जैसी नागरिक सुविधाओं की व्यवस्था तथा कारीगरों हेतु सामान्य कार्यषाला षेडों का प्राविधान।
14. आदिवासी क्षेत्रों में आवासीय विद्यालय ।
15. सार्वजनिक परिवहन यात्रियों के बस पड़ाव /षेडों का निर्माण
16. पषु चिकित्सा सहायता केन्द्र, कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र और प्रजनन केन्द्र।
17. सरकारी अस्पतालो के लिए एक्सरे मषीन, एम्बुलेंस जैसी सुविधाओं और अस्पताल उपकरणों की खरीद करना तथा सरकार/ पंचायती राज संस्थानों द्वारा आदिवासी क्षेत्रों में चलते –फिरते दवाखानों की व्यवस्था करना।
18. बारात घर ,चौपाल /रैनबसेरे का निर्माण कराया जाना।
19. सामुदायिक उपयोग एवं सम्बद्ध गतिविधियों के लिए गैर परम्परागत उर्जा प्रणाली/साधन उपयोगों का निर्माण ।
20. इलैक्ट्रोनिकी परियोजनायें (कृपया पैरा 2.2 का भी संदर्भ लिया जाय)
    (क) सूचना फुटपाथ।
    (ख) उच्च विद्यालयों में हैल्थ क्लीब/उच्च विद्यालयों हेतु कम्प्यूटीकरण।

(ग) सिटीजन बैण्ड रेडियो।
(क) सूचना फुटपाथ।

परिषिश्ट– 2

विधायक निधि के अन्तर्गत न कराये जा सकने वाले कार्यों की सूची

1. केन्द्रीय अथवा राज्य सरकारों के विभागो, अभिकरणों या संगठनों को सम्बन्धित कार्यालय भवन, आवासीय गृहों अथवा अन्य भवनों का निर्माण।
2. वाणिज्यिक संगठनों, न्यासों, पंजीकृत सोसायटियों, निजी संस्थानों अथवा सहकारी संस्थानों से सम्बन्धित कार्य।
3. किसी भी टिकाऊ परिसम्पत्ति के संरश्रण/ उन्नयन के लिए विषेश मरम्मत कार्य को छोड़कर किसी भी प्रकार की मरम्मत एवं अनुरक्षण सम्बन्धी कार्य।
4. अनुदान और ऋण ।
5. स्मारक या स्मारक भवन ।
6. किसी भी प्रकार की वस्तु सामान की खरीद अथवा भण्डार ।
7. भूमि के अधिग्रहण अथवा अधिग्रहीत भूमि के लिए कोई भी मुआवजा राषि।
8. व्यक्तिगत लाभ के लिए परिसम्पत्ति उन परिसम्पत्तियों को छोडकर जो अनुमोदन योजनाओं के भाग है।
9. धार्मिक पूजा के लिए स्थान।

————————————————

संलग्नक–परिषिश्ठ–5

आयोजनागत

संख्या 325

/ग्र/05/56(05)/2003

प्रेशक,

पी0के0महान्ति,
सचिव,
उत्तराचंल षासन

सेवा में,

समस्त मुख्य विकास अधिकारी,
उत्तरांचल ।

ग्राम्य विकास अनुभागः देहरादून दिनांक 23 मार्च, 2005

विशयः– विधायक निधि हेतु वर्शवार दी जाने वाली धनराषि का संषोधन
एवं इसके सापेक्ष वित्तीय वर्श 2004–05 हेतु अवषेश विधायक
निधि की धनराषि का आवंटन ।

महोदय,

उपर्युक्त विशयक षासनादेष 384/व0ग्रा0वि0/वि0नि0/2002 दिनांक 07–06–2002 के द्वारा जारी विधायक निधि के मार्गदर्षी सिद्धान्त एवं इसी क्रम में षासनादेष संख्या 4 सी.एम./ग्रा.वि.अनु0/56(1)/2004 दिनांक 30–1–2004 के अनुक्रम में षासन के सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निर्देष हुआ है कि विधायक निधि हेतु प्रति विधान सभा क्षेत्र हेतु स्वीकृत रूपया 75.00 लाख प्रति वर्श स्वीकृत किये जाने के आदेष जारी किये गये थे, में आंषिक संषोधन करते हुए विधायक निधि के अन्तर्गत प्रति विधान सभा क्षेत्र (माननीय विधायक हेतु) हेतु विकास कार्यों के लिए विधायक निधि की धनराषि रू0 100.00 लाख (रूपया एक करोड़ मात्र) चालू वित्तय वर्श से स्वीकृत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्श स्वीकृति प्रदान करते हैं। उक्त वर्णित षासनादेष की अन्य षर्तें यथावत रहेंगी तथा इस सीमा तक ही संषोधित समझे जायेंगे।

2– उक्त के अनुक्रम में मुझे यह भी कहने का निर्देष हुआ है कि विधायक निधि के अन्तर्गत वित्तीय वर्श 2005–05 हेतु षासनादेष संख्या 435/ ग्र /05/56 (05)/2003 दिनांक 30–7–2004, षासनादेष संख्या 763/ग्र/ 05/56 (05)/2003

दिनांक 13—9—2004, षासनादेष संख्या 1151/ग/ 05/56 (05)/2003 दिनांक 29—12—2004 एवं षासनादेष संख्या 68/ग/ 05/56 (100)/2003 दिनांक 16—2—2005 द्वारा अवमुक्त धनराषि के समायोजन के साथ ही षासनादेष संख्या 113/ ग /05 दिनांक 27—1—2005 के प्रस्तर—5 का अतिक्रमण करते हुए इस षासनादेष के द्वारा सुनामी आपदा हेतु प्रधानमंत्री राहत कोश हेतु स्वीकृत धनराषि का भी समायोजन करते हुए अवषेश धनराषि रू0 10,65,00,000—00 (रूपये दस करोड़ पैसठ लाख मात्र) की धनराषि संलग्न विवरण ''क'' के अनुसार निम्न षर्तों के अधीन राज्य आकस्मिकता निधि से अग्रिम के रूप में आहरित कर ब्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्श स्वीकृति प्रदान करते है:—

(क)— इस योजना के अन्तर्गत विधान सभा के मा0 सदस्यगण सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी को अपने—अपने निर्वाचन क्षेत्र में वर्श 2004—05 के लिए विकास कार्य करवाये जाने हेतु प्रस्ताव देगें । प्रदेष सरकार द्वारा

—2—

विधायक निधि हेतु जारी मार्गदर्षी सिद्धान्त एवं इस निमित्त समय—समय पर जारी षासनादेषों का अनुपालन सुनिष्चित किया जायेगा ।

(ख)— इस संबध में होने वाला ब्यय प्रथमतः 8000—आकस्मिकता निधि—रा0आ0नि0 लेखा संख्या—201—समेकित निधि को विनियोजन तथा अन्ततः अनुदान संख्या—19 के अन्तर्गत लेखाषीर्शक —2515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम —आयोजनागत —00—102—सामुदायिक विकास—04—विधायक निधि—00—42—अन्य ब्यय की सुसंगत इकाईयों के नामें डाला जायेगा ।

संलग्न— यथोपरि ।

भवदीय,

ह0/—

(पी0के0 महान्ति)

सचिव ।

रा0आ0नि0सं0 80/ ग६ गगप;2द्ध६ 2005 दिनांक 23 मार्च, 2005

प्रतिलिपि— महालेखाकार ओबराय भवन माजरा देहरादून को एक प्रति सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

आज्ञा से,

(एल0एम0पन्त)

अपर

सचिव

संख्या 323 / ग्प / 04 / 56(5) / 2004 तद्दिनांकि।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को उपरोक्त वर्णित संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित :–

1– आयुक्त, ग्राम्य विकास उत्तरांचल पौड़ी।
एवं अन्य सहित कुल 15 को पृश्ठांकित।

आज्ञा से,
ह0 / –

(पी0एस0जंगपांगी)

अपर सचिव।

संलग्नक ''क''

विभाग– ग्राम्य विकास विभाग उत्तरांचल षासन।

क्र0 सं0	जनपद का नाम	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या एवं नाम	स्वीकृत धनराषि (लाख रूपये में)
07	चमोली	38– बद्रीनाथ	15.00
		39– नन्दप्रयाग	15.00
		40– कर्णप्रयाग	15.00
		41– पिंडर	15.00
14	देहरादून	मा0नामित विधान सभा सदस्य	15.00
	योग		1065.00

ह0 / –

पी0एस0जंगपांगी,

अपर

सचिव।

<u>संलग्नक–परिषिश्ठ–6</u>

<u>आयोजनागत</u>

संख्या 573 / गप / 2006 / 56

(70)टी0सी0–1 / 2003

प्रेशक,

पी0के0 महान्ति,
सचिव,
उत्तरांचल षासन ।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास ,
उत्तरांचल , पौड़ी।

ग्राम्य विकास अनुभागः देहरादून दिनांक 31 मई , 2006

विशय– विधायक निधि के अन्तर्गत विकास कर्यों का सम्पादन रिया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विशयक आपके पत्र संख्या 3983/5–लेखा/वि0निधि/ 2004–05 दिनांक 18–1–2005 के क्रम में एवं षासनादेष संख्या 384/व0ग्रा0 वि0/वि0नि0/2002 दिनांक 7–6–2002 जिसके द्वारा विधायक निधि के मार्गदर्षी सिद्धान्त जारी किये गये हैं, के अनुक्रम में सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निर्देष हुआ है कि मुख्य विकास अधिकारी अपने सम्पूर्ण नियंत्रण के अधीन विधायक निधि के कार्यों को संयोजित एवं सम्पन्न कराने के लिए जिला विकास संगठन/ जिला विकास अधिकारी को अधिकृत कर सकते हैं। कार्यों की तकनीकी स्वीकृति ,तनकीकी पर्यवेक्षण ,अनुश्रवण ,निरीक्षण आदि हेतु तकनीकी स्टाफ जिला ग्राम्य विकास अभिकरण ,ग्रामीण अभियंत्रण सेवा एवं अन्य अभियंत्रकी विभाग से अतिरिक्त कार्यों के रुप में लिए जाने हेतु मुख्य विकास अधिकारी को अधिकृत किया जाता है।

भवदीय,
ह0/–
(पी0 के0 महॉन्ति)
सचिव।

संख्या 573/ गप / 2006 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थएवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेशितः–

1. आयुक्त, गढ़वाल /कुमायूँ मण्डल ।
2. समस्त जिलाधिकारी ,उत्तरांचल ।
3. समस्त मुख्य विकास अधिकारी उत्तरांचल ।
4. समस्त परियोजना निदेषक,जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, उत्तरांचल ।
5. समस्त जिला विकास अधिकारी, उत्तरांचल ।
6. निजी सचिव, मान0मुख्य मंत्री उत्तरांचल को मान0 मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ।
7. निजी सचिव,मान0संसदीय कार्य मंत्री को मा0मंत्री महोदया के अवलोकनार्थ ।
8. निजी सचिव, मुख्य सचिव ,उत्तरांचल षासन ।
9. मा0विधायकगण द्वारा संबंधित जिलाधिकारी, उत्तरांचल ।
10. समस्त कार्यदायी संस्थायें।
11. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से
ह0/–
(पी0एस0 जंगपांगी)
अपर सचिव।

संलग्नक–परिषिश्ठ–7

आयोजनागत संख्या 38 /टप्च ६ ग्प/06/56(05)/2003

प्रेशक,

दमयन्ती दोहरे,
अपर सचिव,

उत्तराचंल षासन।

सेवा में,

समस्त मुख्य विकास अधिकारी,
उत्तरांचल ।

ग्राम्य विकास अनुभागः देहरादून दिनांक 30 नवम्बर, 2006

विशयः— विधायक निधि हेतु वित्तीय वर्श 2005—06 हेतु विधायक निधि की अवषेश धनराषि का आवंटन ।

महोदय,

उपर्युक्त विशयक षासनादेष संख्या 384/व.ग्रा.वि./वि. नि./ 2002 दिनांक 07—06—2002 के द्वारा जारी विधायक निधि के मार्गदर्षी सिद्धान्त एवं इसी क्रम में जारी षासनादेष संख्या संख्या 325/ग/05/56(05)/2003 दिनांक 23—03—2005 के अनुक्रम में षासन के सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह भी कहने का निदेष हुआ है कि विधायक निधि हेतु प्रति विधान सभा क्षेत्र हेतु स्वीकृत रू0 100.00 लाख (रूपये एक करोड़ मात्र) में आंषिक संषोधन करते हुए **विधायक निधि के अन्तर्गत प्रति विधान सभा क्षेत्र (मा0 विधायक हेतु) विकास कार्यों के लिए विधायक निधि की धनराषि रू0 125.00 लाख (रूपये एक करोड़ पच्चीस लाख मात्र) चालू वित्तीय वर्श से सवीकृत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्श स्वीकृति प्रदान करते हैं।** उक्त वर्णित षासनादेष की अन्य षर्तें यथावत रहेगी। उपरोक्त के क्रम में षासनादेष संख्या 555/ग/06/ 56(05)/2003 दिनांक 23 मई, 2006 के क्रम में मुझे यह भी कहने का निर्देष हुआ है कि विधायक निधि हेतु वित्तीय वर्श 2006—07 की अवषेश राषि रू0 1924.10 लाख (रूपये उन्नीस करोड़ चौबीस लाख दस हजार मात्र) की धनराषि संलग्न विवरण ''क'' के अनुसार निम्न षर्तों के अधीन आपके निर्वतन पर व्यचय हेतु रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्श स्वीकृति प्रदान करते हैं :—

(2) इस योजना के अन्तर्गत विधान सभा के मा0 सदस्यगण सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी को अपने—अपने निर्वाचन क्षेत्र में वर्श 2006—07 के लिए विकास कार्य करवाये जाने हेतु प्रस्ताव देंगे। प्रदेष सरकार द्वारा विधायक निधि हेतु जारी मार्गदर्षी सिद्धान्त एवं इस निमित समय—समय पर जारी षासनादेषों का अनुपालन सुनिष्चित् किया जायेगा।

(3) उक्त आबंटित धनराषि का उपभोग षासनादेष संख्या 549/ ग/06 दिनांक 29—04—2006 द्वारा जारी दिषा निर्देषों के अनुसार सम्बन्धित जाति के विकास कार्यों पर ही व्यय किया जाना सुनिष्चित् किया जायेगा।

(4) व्यय करते समय बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका, स्टोर पर्चेज रूल्स व अन्य तद्विशयक नियमों का अनुपालन किया जायेगा।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराषि का यथा आवष्यकतानुसार कोशागार से आहरण किया जायेगा तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति

के अंष के रूप में आबंटित परिव्यय की सीमा तक ही धनराषि का आहरण होगा।

(6) इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्श 2006–07 के आय व्यय एवं प्रथम अनुपूरक के अन्तर्गत अनुदान संख्या–19 के लेखा षीर्शक–2515– अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–00–आयोजनागत–102–सामुदायिक विकास–04– विधायक निधि–00–42–अन्य के रूप में रूपये 13,66,75,000 अनुदान संख्या–30 के लेखा षीर्शक– 2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–00–आयोजनागत–102– सामुदायिक विकास–02– अनुसूचित जातियों के लिए स्पेषल कम्पोनेन्ट प्लान– 02–विधायक निधि–42–अन्य व्यय से रूपये 4,86,35,000 तथा अनुदान संख्या–31 के लेखा षीर्शक–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–00–आयोजनागत–796– जनजाति क्षेत्र उप योजना –02– विधायक निधि –00–42–अन्य व्यय से रूपये 71,00,000 के सुसंगत इकाइयों के नामे डाला जायेगा।

(7) यह आदेष वित्त विभाग के अषासकीय संख्या 458/गगअपप.4६ 2006 दिनांक 30–11–2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्न : यथोपरि।

भवदीय,

ह0–

(दमयन्ती दोहरे)

अपर सचिव।

संख्या 38 /टप्ट ६ ग/06/56(05)/2003 दिनांक 30 नवम्बर, 2006 का संलग्नक– ''क''

विभाग– ग्राम्य विकास विभाग, उत्तरांचल षासन। (धनराषि लाख रूपये में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या एवं नाम	स्वीकृत कुल धनराषि	अवमुक्त की जा रही धनराषि का अंषवार विभाजन		
				सामान्य अंष	अनु0जात अंष	जनजात अंष
1	2	3	4	5	6	7

07	चमोली	38—बद्रीनाथ	27.10	19.25	6.85	1.00
		39—नन्दप्रयाग	27.10	19.25	6.85	1.00
		40—कर्णप्रयाग	27.10	19.25	6.85	1.00
		41—पिंडर	27.10	19.25	6.85	1.00
14	देहरादून	मा0नामित विधान सभा सदस्य	27.10	19.25	6.85	1.00
	योग		1924.10	1366.75	488.35	71.00

(रूपये उन्नीस करोड़ चौबीस लाख दस हजार मात्र)

ह0—दमयन्ती

दोहरे

अपर सचिव

संलग्नक—परिषिश्ठ—8

संख्या 610 /गप/05/53(65/04

प्रेशक,

पी0के0 मोहन्ति
सचिव
उत्तरांचल षासन ।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तरांचल पौड़ी ।

ग्राम्य विकास अनुभागः देहरादून दिनांक 24 जून, 2005

विशयः— ग्राम्य विकास विभाग के निदेषालय एवं जनपद कार्यालयों का पुनर्गठन

महोदय,

उपर्युक्त विशयक आपके पत्र संख्या 960/1—स्था/पद सरंचना 2002—03 दिनांक 06—8—2002 एवं पत्र संख्या आर—1683/4—3—45/रिक्त पद/2004—05 दिनांक 13—12—2004 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेष हुआ है कि उत्तरांचल राज्य सृजन के पष्चात् षासन के कार्यालय ज्ञाप— संख्या 149 /व0ग्रा0वि0वि0/2001 दिनांक 27—8—2001 के द्वारा ग्राम्य विकास पंचायती राज एवं ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभागों को पुनर्गठित करते हुए आयुक्त , ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज निदेषालय की स्थापना की गयी थी। पंचायती राज विभाग एवं ग्रामीण अभियन्त्रण

सेवा विभाग का पृथक–पृथक षासनादेषों के द्वारा पुनर्गठन किये जाने एवं इनके अलग से विभागाध्यक्ष घोशित किये गये है। जिसके फलस्वरूप उक्त वर्णित कार्यालय–ज्ञाप दिनांक 27–8–2001 एवं ग्राम्य विकास विभाग हेतु पदों के सृजन से संबंधित पूर्व में जारी समस्त षासनादेषों को अतिक्रमित करते हुए ग्राम्य विकास विभाग के संरचनात्मक ढांचे का पुनर्गठन निम्नानुसार किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्श स्वीकृति प्रदान करते हैः–

(क) ग्राम्य विकास निदेषालय की संरचना :–

क्र0 सं0	पद नाम	वेतनमान	पूर्व मे स्वीकृत पद	स्वीकृत पदों की संख्या	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6
1	आयुक्त	–	पदेन	पदेन	प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास उत्तारांचल, षासन आयुक्त, ग्राम्य विकास के रुप में ग्राम्य विकास विभाग के विभागाध्यक्ष होगे।
2	अपर आयुक्त	रु0 14300–400 –18300	01	01	ग्राम्य विकास राज पत्रित अधिकारी सेवा सम्वर्ग से इसकी पूर्ति होगी
3	उपायुक्त (उप विकास आयुक्त)	रु0 12000–375 –16500	03	02	ग्राम्य विकास राज पत्रित अधिकारी सेवा सम्बर्ग से इसकी पूर्ति होगी
4	सहायक आयुक्त (जिला विकास अधिकारी)	रु0 10000–325 –15200	03	03	ग्राम्य विकास राज पत्रित अधिकारी सेवा संवर्ग से इसकी पूर्ति होगी
5	वरिश्ठ लेखाधिकारी	रु0 10000–325 –15200	01	–	मृत घोंशित
5	सहायक लेखाधिकारी	रु0 6500–200–10500	03	03	प्रादेषिक लेखा संवर्ग से पूर्ति होगी
6	वरिश्ठ लेखाकार	रु0 5500–175–9000	–	01	विभागीय लेखाकार की राज्य स्तरीय ज्येश्ठता के आधार पर अनुपयुक्त को छोडते हुए वरिश्ठता के आधार पर पूर्ति होगी।
7	लेखाकार	रु0	–	01	विभागीय

		5000—150—8000			
8	सहायक लेखाकार	रु0 4000—100—6000	—	01	विभागीय
9	सहायक सम्प्रेक्षण अधिकारी	रु0 6500—200—10500	02	02	विभागीय
10	वरिश्ठ लेखा परीक्षक	रू0 5000—150—8000	02	02	विभागीय
11	लेखा परीक्षक	रु0 4000—100—6000	04	04	विभागीय
12	प्रषासनिक अधिकारी—1	रु0 5500—175—9000	01	01	विभागीय
13	प्रषासनिक अधिकारी—2 (पूर्व पद नाम कार्यालय अधीक्षक)	रु0 5000—150—8000	02	02	विभागीय
14	मुख्य सहायक — (पूर्व पद नाम वरिश्ठ सहायक)	रु0 4500—125—7000	02	02	विभागीय
15	प्रवर सहायक— (पूर्व पद नाम वरिश्ठ लिपिक)	रु0 4000—100—6000	—	03	विभागीय
16	कम्प्यूटर प्रोग्रामर	रु0 5500—175—9000	01	—	मृत घोशित
17	कनिश्ठ सहायक (पूर्व पदनाम कनिश्ट लिपिक/सह. डाटाऐन्ट्री आपरेटर/ कम्प्यूटर आपरेटर)	रु0 3050—75—3950—80—4590	11	10	
18	आषु	रु0	—	01	अपर आयुक्त के साथ रहेंगे।

	लिपिक	5000–150–8000			
19	आषु लिपिक	रु0 4000–100–6000	04	03	निदेषालय में तैनात अन्य अधिकारियों के साथ
20	वाहन चालक	रु0 3050–75–3950–80–4590	02	05	
21	अनुसेवक / पत्रवाहक	रु0 2550–55–2660–60–3200	14	14	
22	स्वच्छक / चौकीदार	रु0 2550–55–2660–60–3200	02	02	
निदेषालय के कुल पदों का योग			58	63	

(1) ग्राम्य विकास विभाग का मुख्यालय पूर्व की भांति जनपद गढ़वाल के मुख्यालय पौड़ी में स्थापित रहेगा ।
(2) पूर्व की भांति आयुक्त, ग्राम्य विकास इस विभाग के विभागाध्यक्ष होंगे । जिसका पदेन कार्यभार प्रमुख सचिव, एवं आयुक्त ,वन एवं ग्राम्य विकास के पास होगा ।
(3) निदेषालय हेतु उक्त स्वीकृत पदों पर होने वाला व्यय भार वित्तीय वर्श 2005–06 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या –19 के लेखा षीर्शक 2515–निदेषन तथा प्रषासन –00– 001– निदेषन तथा प्रषासन –आयोजनेत्तर–03 –ग्राम्य विकास का मुख्यालय /क्षेत्रीय कार्यालय अधिश्ठान से वहन किया जायेगा ।

(ख) जनपद स्तर पर जिला विकास कार्यालय /विकास खण्ड कार्यालयों की संरचना :–

क्र0 सं0	**पद नाम**	**वेतनमान**	**पूर्व मे स्वीकृत पद**	**स्वीकृत पदों की संख्या**	**अन्य विवरण**
1	2	3	4	5	6
1	मुख्य विकास अधिकारी	रु0 10650–325 – 15850	03	03	ग्राम्य विकास राजपत्रित अधिकारी सेवा संवर्ग से इसकी पूर्ति होगी
2	जिला विकास अधिकारी /परियोजना निदेषक	रु0 10000–325 – 15200	25	26	13 पद अस्थाई प्रकृति के होगे तथा इनकी तैनाती जिला ग्राम्य विकास अभिकरण में परियोजना निदेषक के रुप में प्रतिनियुक्ति हेतु

	डी.आर.डी.ए.				
3	खण्ड विकास अधिकारी	रु0 8000—275 — 13500	117	117	22 पद अस्थाई प्रकृति के होंगें तथा डी.आर.डी.ए. में सहायक परियोजना अधिकारी के रुप में प्रतिनियुक्ति हेतु
4	संयुक्त खण्ड विकास अधिकारी	रु05000—150— 8000	34	34	संयुक्त खण्ड विकास अधिकरी का पद मृत घोत किया जाता है तथ पद रिक्त होने पर स्वः समाप्त होते रहेंगे।
5	सहायक खण्ड विकास अधिकारी (पूर्व पद नाम सहायक विकास अधिकारी)	रु0 4500—125 — 7000	123	190	प्रत्येक विकास खण्ड में दो सहायक विकास अधिकारी तेनात होगें।
6	ग्राम विकास अधिकारी	रु0 3200—85— 4900	1060	950	ग्राम विकास अधिकारी संबर्ग मृत घोशित है तथा पद रिक्त होने पर स्वतः समाप्त होते रहेंगे।
7	प्रषासनिक अधिकारी—2 (पूर्व पद नाम प्रधान लिपिक)	रु0 5000—150 — 8000	10	13	प्रत्येक जनपद में एक
8	मुख्य सहायक (पूर्व पदनाम वरश्ठि सहायक)	रु0 4500—125 — 7000	36	36	पूर्व व्यवस्था के अनुसार
9	प्रवर सहायक (पूर्व पद नाम वरिश्ठ लिपिक)	रु0 4000—100 — 6000	208	208	पूर्व व्यवस्था के अनुसार
10	कनश्ठि सहियक (पूर्व पद नाम कश्ठि लिपिक कम्प्यूटर आररेट)/उर्द अनुवादक)	रु. 3050—75— 3950—80— 4590	128	140	पूर्व व्यवस्था के अनुसार
11	लेखाकार	रु. 5000—150 — 8000	10	13	प्रत्येक जनपद कार्यालय में एक पद तैनाती आयुक्त, ग्राम्य विकास ,द्वारा की जायेगी ।
12	सहायक लेखाकार	रु0 4000—100 — 6000	237	225	षासनादेष संख्या 400 दिनांक 21.8.04 के द्वारा जारी दिष —निर्देषों के अनुसार कार्यवाही संचालित की जायेगी नियुक्ति प्राधिकारी आयुक्त, ग्राम्य विकास होंगे प्रत्येक विकास खण्ड कार्यालय एवं जनपद रुद्रपग्राग ,बागेष्वर , चम्पादवत एवं उत्तरकाषी के जिला विकास कार्यालय हेतु

					दो–दो पद तथा षेश जनपदों के जिला विकास कार्यालय हेतु तीन–तीन पद। विकास खण्डों एवं जिला विकास कार्यालयों में रोकडिया का कार्य सहायक लेखाकारों द्वारा सम्पादित किया जायेगा।
13	कनिश्ठ लेखा लिपिक	रु0 4000–100 – 6000	185	145	कनिश्ठ लेखालिपिक का पद मृत संवर्ग घोशित किया गया है तथा पद रिक्त होने पर स्वतः समाप्त होते रहेंगे।
14	आषुलिपिक	रु. 5000–150 – 8000	–	13	प्रत्येक जनपद में मुख्य विकास अधिकारी के साथ एक पद
15	आषुलिपिक	रु. 4000–100 – 6000	24	13	प्रत्येक जनपद में जिला विकास अधिकारी के साथ एक पद
16	अनुसेवक/ पत्रवाहक/ चौकीदार (जिला विकास कार्यालय हेतु)	रु. 2250–55 –2660–60 – 3200	322	294	प्रत्येक विकास खण्ड हेतु दो–दो पद तथा मुख्य विकास अधिकारी /जिला विकास अधिकारी कार्यालय हेतु प्रत्येक कार्यालय में आठ–आठ पद।
17	स्वच्छक सह चौकीदार	रु. 2250–55 –2660–60 – 3200	107	88	स्थाई प्रकृति के 88 पदों के अतिरिक्त 33 पदों पर संविदा पर कार्मिक रखे जायेंगे।
18	वाहन चालक	रु. 3050–75 –3950–80 – 4590	120	121	प्रत्येक जनपद में मुख्य विकास अधिकारी एवं जिला विकास अधिकारी हेतु एक–एक पद तथा प्रत्येक विकास खण्डों हेतु एक–एक पद ।
19	पैड अप्रेन्टिस	रु0 3050 प्रतिमाह	05	01	पद मृत घोशित किया जाता है तथा पदउ रिक्त होने पर स्वतः समाप्त हो जायेगा
जनपद स्तरीय कार्यालयों के पदों की कुल संख्या			2754	2360	

जनपद स्तरीय कार्यालयों हेतु उक्त स्वीकृत पदों पर होने वाला व्यय– भार वित्तीय वर्श 2005–06 के आय–व्ययक अनुसादन संख्या–19 के लेखाषीर्शक – 2515 –अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम– 00–102 सामुदायिक विकास–आयोजनेत्तर –03 अधिश्ठान के अन्तर्गत वहन किया जायेगा ।

(ग) उत्तरांचल सचिवालय हेतु सृजित पद :–

क्र0 सं0	पद नाम	वेतनमान	पूर्व मे स्वीकृत पद	स्वीकृत पदों की संख्या	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6
1	(1)संयुक्त सचिव	रु0 14300—400—18300	—	01	ग्राम्य विकास राजपत्रित अधिकारी संवर्ग से इसकी पूर्ति होगी ।
योग			—	**01**	
निदेषालय,जनपद स्तरीय एवं सचिवालय हेतु सृजित होने वाले कुल पद			**2812**	**2694**	

उपरोक्तानुसार ग्राम्य विकास निदेषालय हेतु 63 पद जिला स्तर/विकास खण्डों के कार्यालयों हेतु 2630 पद जिनमें जिला विकास अधिकारी के 13 पद तथा खण्ड विकास अधिकारी के 22 पद अस्थाई होंगे । उत्तरांचल सचिवालय हेतु स्वीकृत संयुक्त सचिव का 01 पद ग्राम्य विकास राजपत्रित सेवा संवर्ग के अधिकारियों से भरा जायेगा। यह विभाग ग्राम्य विकास विभाग कहा जायेगा।

5. ग्राम्य विकास विभाग से समय—समय पर विभिन्न वेतनमानों में नियुक्त अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति पर जाने की स्थिति में प्रतिनियिुक्ति अवधि के लिए ये पद ग्राम्य विकास संवर्ग में अतिरिक्त माने जायेंगे।

6. जिला विकास कार्यालय एवं खण्ड विकास कार्यालयों में मुख्य सहायक (पूर्व पद नाम वरिष्ठ सहायक), प्रवर सहायक (पूर्व पद नाम वरिश्ठ लिपिक) तथा कनिश्ठ सहायक (पूर्व पद नाम कनिश्ठ लिपिक /कम्प्यूटरक आपरेटर/उर्दू अनुवादक) के पदों का आवष्यकयतानिुसार जनपदवार विभाजन आयुक्त, ग्राम्य विकास द्वारा किया जायेगा।

7. ग्राम्य विकास निदेषालय हेतु पूर्व में स्वीकृत कम्प्यूटर प्रोग्रामर, वरिश्ठ लेखाधिकारी का पद मृत संवर्ग घोशित किया जाता है तथा जनपद स्तर पर स्वीकृत संयुक्त खण्ड विकास अधिकारी एवं पैड अप्रेन्टिस के पदों को भी मृत संवर्ग घोशित किया जाता है। इन पदों पर भविश्य में कोई नयी नियुक्तियॉ नहीं की जायेगी तथा किसी भी कारण से पद रिक्त होने की स्थिति में पद स्वतः ही समाप्त हो जायेंगे।

8. संयुक्त सचिव का वेतन एवं अन्य भत्ते सचिवालय प्रषासन के मद से संगत लेखाषीर्शक से आहरित किया जायेगा।

9. यह आदेष वित्त विभाग के अषासकीय संख्या 281/वि0अनु0— 2/2005 दिनॉक 22 जून, 2005 के द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

ह0—

(पी0के0महान्ति)

सचिव

संख्या 610/ ग्ध्05ध्53 ;65द्ध ध् 04 तद्दिनॉकित।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेशितः–

1– महालेखाकार, उत्तरांचल देहरादून।

2– अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मा0मुख्यमंत्री, उत्तरांचल।

3– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल षासन।

4– समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तरॉचल।

5– आयुक्त, गढ़वाल एवं कुमायूँ मण्डल।

6– समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।

7 समस्त मुख्य विकास अधिकारी/जिला विकास अधिकारी,उत्तरांचल।

8– समसत वरिश्ठ कोशाधिकारी/कोशाधिकारी, उत्तरांचल।

9– कार्मिक अनुभाग–2 उत्तरांचल षासन।

10–वित्त अनुभाग–2 उत्तरांचल षासन।

11–निदेषक, राश्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तरांचल देहरादून।

12–गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

ह0–

(पी0एस0जंगपांगी)

अपर सचिव।